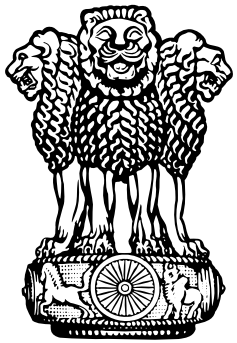

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

परिणामी बजट
2015-16

विषय सूची

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

			पृष्ठ संख्या
अध्याय	**I**	प्रस्तावना	**1-8**
अध्याय	**II**	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का समग्र कार्य-निष्पादन	**9-52**
अध्याय	**III**	सुधार, उपाय एवं नीतिगत पहल	**53-62**
अध्याय	**IV**	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वास्तविक कार्य-निष्पादन	**63-84**
अध्याय	**V**	वित्तीय समीक्षा	**85-94**
अध्याय	**VI**	मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा	**95-105**

अध्याय – I

प्रस्तावना

1.1 भारी उद्योग विभाग

1.1.1 राष्ट्रपति की दिनांक 15 अक्तूबर, 1999 की अधिसूचना के अनुसार भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय स्थापित किया गया जिसके अंतर्गत भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग आते हैं। भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 12 अनुषंगी कंपनियों सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 32 प्रचालनरत उद्यम (सीपीएसई) और एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड (एनबीबीपीएल) है। यह विभाग निम्नलिखित स्वायत्त संगठनों को भी प्रशासित करता है:

(क) राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन करने के लिए जुलाई 2005 में स्थापित नेट्रिप कार्यान्वयन सोसायटी (नेटिस)।

(ख) फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफसीआरआई), पलक्कड़, केरल, जो कैलिब्रेशन के लिए प्रवाह उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करता है, और

(ग) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पूना, महाराष्ट्र; और

(घ) नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी)।

भारी उद्योग विभाग को निम्नलिखित विषय/औद्योगिक सेक्टर भी आबंटित किए गए हैं:

(क) हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और मशीन्स टूल्स उद्योग।

(ख) भारी विद्युत इंजीनियरिंग उद्योग ।

(ग) ऑटोमोटिव उद्योग, जिसमें ट्रेक्टर और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट शामिल हैं।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उद्यमों को 3 प्रमुख समूहों अर्थात् इंजीनियरिंग यूनिट, गैर-इंजीनियरिंग यूनिट तथा परामर्शी/ठेका यूनिट में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची इस अध्याय के **अनुबंध I** में दी गई है।

1.1.2 संगठन

सचिव, भारत सरकार इस विभाग के प्रमुख हैं। उनकी सहायता के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों का एक दल है। जिसमें 1 अपर सचिव, 1 अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, 2 संयुक्त सचिव, 1 मुख्य लेखा नियंत्रक, 1 आर्थिक सलाहकार, औद्योगिक सलाहकार तथा निदेशक आदि शामिल हैं।

1.1.3 उद्देश्य

इस विभाग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

(क) विभाग के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम उपयोग करना;

(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में व्यावसायिक प्रबन्धन और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्धकीय विकास;

(ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पुनर्संरचना, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा मानव व सामग्री संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करके लाभप्रदता, कार्यकुशलता और उत्पादकता को बढ़ाना;

(घ) निर्माणकारी और प्रयोक्ता क्षेत्रों के बीच गहन समन्वय और संपर्क स्थापित करना;

(ड.) इस विभाग की देखरेख में आने वाले क्षेत्रों का विकास तथा वृद्धि;

(च) परीक्षण आदि के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के सृजन के लिए ऑटो क्षेत्र में राष्ट्रीय परियोजना का कार्यान्वयन।

अनुबंध I

क्रम सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम
(i)	**इंजीनियरिंग उद्यम**
1.	एण्ड्रू यूल एण्ड कम्पनी लि. (एवाईसीएल)
2.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. (भेल)
3.	भेल इलेक्ट्रिकल्स मशीन लि. (बीएचईएल की सहायक कंपनी)
4.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैसर्स लि. (बीपीसीएल)
5.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. (एचईसी)
6.	एचएमटी लि. (धारक कम्पनी ट्रेक्टर प्रभाग के साथ)
7.	एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड (एचएमटी की सहायक कंपनी)
8.	एचएमटी वाचेज (एचएमटी की सहायक कंपनी)
9.	एचएमटी चिनार वाचेज (एचएमटी की सहायक कंपनी)
10.	एचएमटी मशीन टूल्स (एचएमटी की सहायक कंपनी)
11.	हिन्दुस्तान केबल्स लि. (एचसीएल)
12.	इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि., कोटा (आईएलके)
13.	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंन्ट्स लि. (आईएलके की सहायक कंपनी)
14.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि. (आर एण्ड सी)
15.	स्कूटर्स (इण्डिया) लि. (एसआईएल)
16.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. (टीएसएल)

क्रम सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम
17.	तुंगभ्रद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. (टीएसपीएल)
(ii)	**गैर-इंजीनियरिंग उद्यम**
18.	नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) (एचपीसी की सहायक कंपनी)
19.	सीमेंट कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लि. (सीसीआई)
20.	हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लि. (एचपीसी)
21.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लि. (एचपीसी की सहायक कंपनी)
22.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. (एचएसएल)
23.	साम्भर साल्ट्स लि. (एसएसएल) (एचएसएल की सहायक कंपनी)
24.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यू. कम्पनी लि. (एचपीएफ)
25.	नेपा लि. (नेपा)
26.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (टीसीआईएल)
(iii)	**परामर्शदात्री / सेवा उद्यम**
27.	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल)
28.	ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि. (बीबीजे) - (बीबीयूएनएल की सहायक कंपनी)
29.	ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इंडिया) लि.
30.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. (ईपीआई)
31.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि. (एचएमटी की सहायक कंपनी)
32.	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लि. (एवाईसीएल की सहायक कंपनी)

1.2 लोक उद्यम विभाग

1.2.1 अपनी 52वीं रिपोर्ट में, तीसरी लोक सभा (1962-67) की प्राक्कलन समिति ने एक केन्द्रीकृत समन्वय यूनिट के गठन की जरूरत पर बल दिया जो लोक उद्यमों की निष्पादकता का निरन्तर मूल्यांकन भी कर सके। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की वर्ष 1965 में स्थापना की गई। तदनुपरांत, सितम्बर 1985 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों /विभागों का पुनर्गठन होने पर, बीपीई को उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बना दिया गया। मई, 1990 में, बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया और अब इसे लोक उद्यम विभाग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में, यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा है।

1.2.2 लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों से संबंधित नीतियां बनाने और उन से संबंधित मामलों पर विभिन्न दिशानिर्देश तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अपने कार्यों के निर्वहन के लिए, विभाग अन्य मंत्रालयों/विभागों, सीपीएसई और संबंधित संगठनों से समन्वय करता है। विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य नीचे दिए गए हैं -

- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) से संबंधित गैर-वित्तीय प्रकृति के सामान्य नीतिगत मामलों का समन्वयन,
- पीएसई को दिशानिर्देश जारी करना,
- पीएसई से संबंधित नीतियां जैसे बोर्ड ढांचा, कार्मिक प्रबंधन, निष्पादकता सुधार, वित्तीय प्रबंधन, पारिश्रमिक निर्धारण और सतर्कता प्रबंधन आदि तैयार करना,
- सीपीएसई को महारत्न/नवरत्न/मिनी रत्न का दर्जा प्रदान करना और उसकी समीक्षा करना,
- केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मंडल के गठन, उच्चस्थ पदों के श्रेणीकरण, सूचीयन से संबंधित नीतिगत मामले,
- बोर्ड स्तरीय कार्यपालकों तथा बोर्ड स्तर से निचले कार्मिकों और यूनियन के कार्मिकों के वेतन-मानों और उस पर आवधिक अंतराल पर मंहगाई भत्ते को अधिसूचित करना,
- पीएसई में सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नीतियां,

- केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण जिसे लोक उद्यम सर्वेक्षण कहा जाता है, का प्रकाशन,
- पीएसई और प्रशासनिक मंत्रालयों /विभागों के बीच समझौता ज्ञापन,
- केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृति से संबंधित नीति,
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नियमित कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुन:प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन योजना से संबंधित मामले,
- पीएसई के पुनर्गठन बोर्ड से संबंधित मामले।
- पीएसई में कुछ पदों पर कुछ विशेष वर्ग के नागरिकों के आरक्षण से संबंधित मामले,
- पीएसई में तथा पीएसई और सरकारी विभागों के बीच, कर मामलों से संबंधित विवादों के अतिरिक्त, उठे विवादों का स्थायी मध्यस्थता तंत्र द्वारा निपटान करना,
- उद्यमों के संवर्धन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीपीई) से संबंधित मामले,
- सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन से संबंधित मामले,
- केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मंडल को शक्तियां प्रदत्त करने से संबंधित मामले।

3. लोक उद्यम विभाग के अध्यक्ष सचिव हैं जिनको 123 संस्वीकृत अधिकारियों/कार्मिकों की स्थापना द्वारा सहायता दी जा रही है।

4. लोक उद्यम विभाग तीन योजनागत स्कीमें अर्थात (i) केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुन: प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन स्कीम (ii) केंद्रीय सरकारी उद्यमों से संबंधित सामान्य मामलों पर अनुसंधान, विकास एवं परामर्श स्कीम (iii) और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों के कार्यपालकों/कर्मचारियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रोग्राम कार्यान्वित कर रहा है।। इसके अलावा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए वार्षिक आधार पर योजना निधि आबंटित की जाती है।

(i) केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के पृथक्कृत कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुन:प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन (सीआरआर) योजना

(क) लोक उद्यमों का पुनर्गठन एक वैश्विक प्रवृत्ति है, विशेष रूप से उदारीकृत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों का वृहत एवं सूक्ष्म स्तर पर पुनर्गठन करने का प्रयास कई बार जनशक्ति के यौक्तीकरण को आवश्यक बना देता है। कुछ मामलों में, इसने प्रौद्योगिकी चयन और परिवर्तित जनशक्ति अपेक्षाओं में परिवर्तन होने के कारण मौजूदा जनशक्ति को प्रभावित किया है। सरकार की नीति, मानवीयता के साथ सुधारों को कार्यान्वित करना और संगठनों में कर्मचारियों की संख्या को सीमित करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर्मचारियों के लिए समुचित सुरक्षा संजाल उपलब्ध कराना है।

(ख) पृथक्कृत कर्मचारियों के लिए सुरक्षा कवच की आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीकरणीय कोष की स्थापना की थी ताकि वी आर एस व्यय को शामिल किया जा सके तथा संगठित क्षेत्र के कामगारों को पुनर्प्रशिक्षण दिया जा सके। पुर्नप्रशिक्षण कार्य औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग देख रहा था। तथापि कई कारणों से एन आर एफ को 31 मार्च 2001 को समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2001-02 से केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियेां की सी आर आर स्कीम लोक उद्यम विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) सीआरआर स्कीम का उद्देश्य और कार्य जो पृथक्कृत कर्मचारियों को परामर्श,पुन: प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन का अवसर प्रदान करना है जो केंद्रीय सरकारी उद्यमों में आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और श्रम शक्ति पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सरप्लस हो गए हैं। कर्मचारियों के पुन: प्रशिक्षण का लक्ष्य स्वै.से.यो./स्वे.पृ.यो. अथवा उद्यम के बंद/पुनर्संचरना के कारण छंटनी की वजह से सरकारी उद्यमों से उनके पृथक्करण के बाद नए वातावरण में समायोजित होने तथा नए व्यवसाय अपनाने में समर्थ बनाने के लिए अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तैयार करना है।

(घ) स्कीम की व्यापकता को बढ़ाने और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए सी आर आर स्कीम को वर्ष 2007 में संशोधित किया गया था। कुछ मुख्य संशोधनों में (i) अगर वी आर एस विकल्पधारी स्वयं इच्छुक नहीं है तो प्रत्येक के किसी एक आश्रित को प्रशिक्षण (ii) संशोधित व्यय मानकों के साथ 20/30/40 दिनों की प्रशिक्षण अवधि को 30/45/60 दिन करना (iii) प्रशिक्षित वीआरएस विकल्पधारी की अनुवर्ती कार्रवाई हेतु व्यय मानकों में एक समर्पित राशि निर्धारित करना, शामिल है।

(ii) "केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों से सम्बन्धित सामान्य मामलों पर अनुसंधान, विकास और परामर्श" के लिए एक योजनागत स्कीम

(ड.) सामान्य मामलों पर अनुसंधान, विकास और परामर्श की स्कीम वर्ष 2007-08 में आरंभ की गई और वर्ष 2008-09 से क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यों में केंद्रीय सरकारी उद्यमों के सामान्य मामलों पर सम्मेलन, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन, विषयक अध्ययन करना, केंद्रीय सरकारी उद्यमों की समझौता ज्ञापन प्रणाली के कार्यान्वयन के सुदृढ़ीकरण के लिए परामर्शी सेवाएं और अन्य कार्यकलाप, केंद्रीय सरकारी उद्यमों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों को पुरस्कार/प्रोत्साहन प्रदान करके सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना और ज्ञान का आदान-प्रदान करना शामिल है।

(iii) राज्य स्तरीय लोक उद्यमों के कार्यपालकों/कर्मचारियों के लिए कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी स्कीम

(च) राज्य स्तरीय लोक उद्यमों के कार्यपालकों/कर्मचारियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्कीम वर्ष 2012-13 में प्रचालित हुई थी। इस स्कीम का उद्देश्य राज्य स्तरीय लोक उद्यमों के कर्मचारियों के ज्ञान /कौशल में सुधार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना है और इसके माध्यम से उनकी क्षमता, लाभ और समग्र कार्य निष्पादन में वृद्धि होगी।

(iv) अच्छी सेवाएं, सरकारी रिकार्डों के प्रणालीबद्ध प्रबंधन और उचित ढंग से सरकारी कामकाज करने के लिए सरकारी मंत्रालयों/विभागों के आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही नीति के अनुसार आई टी संरचना अर्थात् कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर और सहायक सामग्री की व्यवस्था, ई-गर्वनेंसऔर ई-ऑफिस का कार्यान्वयन आदि, के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) के कार्यान्वयन पर आने वाले व्यय के लिए योजना-निधि आवंटित की जाती है।

* * * * *

अध्याय - II

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) का बजट प्राक्कलन और समग्र कार्य-निष्पादन संबंधी विवरण

भारी उद्योग विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के **32** प्रचालनशील उद्यमों, ऑटो इंस्ट्रूमेंटेशन सेक्टर में 4 स्वायत्त निकायों अर्थात ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफसीआरआई) तथा नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नैट्रिप) कार्यान्वयन सोसायटी (नैटिस) जो केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रोजेक्ट नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नैट्रिप) तथा नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड का कार्य देखता है, के अलावा इंजीनियरिंग उद्योगों अर्थात हेवी इंजीनियरिंग और मशीन टूल्स, हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग और ऑटोमोटिव उद्योग के विकास से संबंधित है। भारी उद्योग विभाग के अधीन ये उद्यम मशीन उपस्कर औद्योगिक मशीनरी, बॉयलरों, गैस/भाप/हाइड्रो टरबाइन, टर्बो जेनरेटर इलेक्ट्रिकल उपकरण और रेलवे ट्रैक्शन उपकरण, प्रेशर वैसल, वातानुकूलित लोकोमोटिव, प्राइम मूवर्स, कृषिगत ट्रैक्टर एवं उपभोक्ता वस्तुओं यथा घड़ियों सीमेंट, कागज, टायरों, साइकिलों, नमक आदि विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करते हैं। ये उद्योग विद्युत, रेल और सडक परिवहन सहित अर्थव्यवस्था के लगभग सभी सेक्टरों के लिए वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। मंत्रालय मशीन विनिर्माण उद्योग के कार्य भी करता है और मूल उद्योगों जैसे इस्पात, अलौह धातु, उर्वरक, रिफाइनरी, पेट्रोरसायन, पोत परिवहन, कागज, सीमेंट, चीनी आदि के लिए उपकरणों की मांग को पूरा करता है। विभाग मध्यवर्ती इंजीनियरी उत्पादों जैसे कास्टिंग, फोर्जिंग, डीजल इंजिन, औद्योगिक गियर और गियर बॉक्स जैसी विशाल रेंज के विकास के लिए सहायता देता है।

2. विभाग के नियंत्रणाधीन उद्यमों के कार्य-निष्पादन की समझौता ज्ञापन में निहित लक्ष्यों की तुलना में विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि कमियों को दूर करने के लिए समय पर उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। विभिन्न लघु

आवधिक व दीर्घावधिक उपायों का पता लगाया जाता है और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन में जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्संरचना के माध्यम से सुधार हेतु कार्रवाई की जाती है जिसमें जनशक्ति औचित्यस्थापन, उच्च पदों पर रिक्तियों को भरना व प्रमुख योजनाओं की सूक्ष्म निगरानी आदि शामिल हैं। सरकार की समग्र सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति के अनुसार, लाभ अर्जित कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करते हुए सुदृढ़ किया जा रहा है और हानि उठा रहे उद्यमों के पुनरुद्धार/समापन पर विचार किया जा रहा है। तदनुसार, विभाग के अधीन कंपनियों की लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड तथा अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श से नए सिरे से पहचान की गई है जिनका पुनर्गठन/पुनरुद्धार किया जा सकता है। सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 28 उद्यमों में से 19 उद्यमों के पुनरूद्धार/पुनर्गठन करने की मंजूरी दे दी है।

3. भारी उद्योग विभाग के नियन्त्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उत्पादन तथा लाभ/हानि का ब्यौरा क्रमशः तालिका I और II में दिया गया है।

तालिका-I

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का उत्पादन निष्पादन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	के साक्षेउ का नाम	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (वास्तविक)	2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक)	2015-16 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
1	एवाईसीएल	261.30	289.03	326.06	279.81	395.00
2	हुगली प्रिंटिंग	15.75	9.50	15.91	13.28	19.03
3	बीएचईएल	49510.00	50156.00	40338.00	17991.00	33000.00
4	बीबीयूएनएल	14.74	16.15	10.10	2.64	10.00
5	बीएचईएल-ईएमएल	21.13	26.53	37.02	16.32	60.00
6	बीबीजे	199.15	302.11	260.66	193.10	220.00
7	बीपीसीएल	158.30	152.74	150.13	53.37	169.55
8	आरएण्डसी	73.31	71.19	62.70	43.72	70.00
9	टीएसएल	1.57	0.93			
10	टीएसपीएल	3.03	0.55	0.61	0.23	2.07
11	बीएण्डआर	1258.67	1315.55	1378.77	919.58	1550.00
12	एचसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	एचईसी	687.74	676.77	447.71	257.47	801.45
14	एचएमटी(धारक कं.)	182.98	63.05	74.11	42.79	120.00
15	एचएमटी(एमटी)	218.17	218.05	155.56	109.39	275.00
16	एचएमटी(वाचेज)	10.24	14.03	4.70	2.27	10.00
17	एचएमटी (चिनार वाचेज)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	के साक्षेउ का नाम	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (वास्तविक)	2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक)	2015-16 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
18	एचएमटी (बेयरिंग)	14.64	11.73	15.04	10.00	16.00
19	एचएमटी (इंटरनेशनल)	32.40	34.09	25.08	0.00	46.00
20	आईएलके	192.45	171.80	158.35	101.07	345.00
21	आरईआईएल	234.11	241.84	215.97	114.57	230.00
22	एसआईएल	228.73	214.46	168.02	135.97	222.33
23	सीसीआई	370.93	316.56	363.03	302.81	440.93
24	एचपीसी	705.38	566.20	634.34	580.90	1031.86
25	एचएनएल	336.32	348.04	356.83	279.91	434.52
26	एचपीएफ	7.61	3.74	0.15	0.00	0.00
27	एचएसएल	8.98	8.61	7.49	4.52	16.76
28	एसएसएल	19.38	16.05	17.08	13.58	40.96
29	नेपा	145.60	131.54	124.93	61.90	125.00
30	टीसीआईएल	24.29				
31	ईपीआई	901.27	840.61	855.16	702.51	1200.00
32	एनपीपीसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल:	**55838.17**	**56217.45**	**46203.51**	**22232.35**	**40851.46**

नोट: (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यम बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टेफको, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल बंद हो चुके हैं।

(ii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) और बीएससीएल रेल मंत्रालय को अगस्त-सितम्बर 2010 में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

(iii) टीसीआईएल और टीएसएल के आंकडे उपलबध नहीं हैं क्योंकि कंपनी का समापन/परिसमापन किया जा रहा है।

(iv) बीएचपीवी का बीएचईएल के साथ विलय कर दिया गया है।

तालिका II

भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का लाभ(+) हानि (-) (कर पूर्व)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	केसाक्षेउ का नाम	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (वास्तविक)	2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक)	2015-16 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ में चल रहे उद्यम						
1	एवाईसीएल	11.85	11.35	22.29	14.84	11.19
2	हुगली प्रिंटिंग	0.53	0.11	0.15	0.22	0.18
3	बीएचईएल	10302.00	9432.00	5014.00	2021.00	1748.00
4	बीएण्डआर	68.29	56.03	16.96	7.69	41.00
5	बीबीयूएनएल	0.11	0.46	4.52	3.97	2.07
6	बीबीजे	5.96	58.37	68.42	35.41	16.18
7	सीसीआई	19.43	8.11	16.20	6.92	9.28
8	ईपीआई	36.37	31.65	26.11	17.20	39.36
9	एचएमटी(इंटरनेशनल)	1.74	6.85	0.50	0.32	3.16
10	एचएसएल	0.22	0.74	0.11	0.18	0.53
11	एसएसएल	1.06	0.30	0.44	0.20	1.02
12	एसआईएल	-19.94	-6.00	13.60	5.41	12.36
13	आरईआईएल	27.45	39.29	19.88	4.67	10.00
(क) लाभ में चल रही सीपीएसई का उप योग		**10455.07**	**9639.26**	**5203.18**	**2118.03**	**1894.33**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	केसाक्षेउ का नाम	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (वास्तविक)	2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक)	2015-16 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के हानि में चल रहे उद्यम						
14	एचएमटी(धा.क.)	-82.20	-145.38	87.21	-69.42	-82.75
15	एचईसी	8.58	20.38	299.31	-134.57	-46.71
16	टीएसपीएल	-28.75	-31.15	-31.91	-21.17	-31.20
17	बीपीसीएल	1.57	-26.76	-15.68	-37.74	-8.76
18	आईएल	-67.69	-54.09	-68.61	-45.45	-21.67
19	आरएण्डसी	-16.26	-29.49	-3.82	1.03	2.00
20	टीएसएल	-52.34	-75.87			
21	एचसीएल	-648.27	-885.05	-781.88	-676.33	-850.00
22	एचपीसी	-95.20	-151.87	-118.50	4.15	3.17
23	एचएमटी(एमटी)	-46.14	-43.65	-52.66	-96.63	-68.78
24	एचएमटी(बेयरिंग्स)	-10.12	-2.07	-15.98	-11.87	-18.58
25	एचएमटी(वाचेज)	-224.04	-242.47	-233.08	-200.34	-270.80
26	एचएमटी(चिनार वाचेज)	-44.04	-51.16	-50.56	-34.46	-46.54
27	एचपीएफ	-1352.39	-1565.32	-1820.42	-1656.27	0.00
28	एचएनएल	6.89	-18.09	-8.86	-15.04	6.92
29	नेपा	-72.90	-84.08	-84.08	-40.52	-36.02

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	केसाक्षेउ का नाम	2011-12 (वास्तविक)	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (वास्तविक)	2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक)	2015-16 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6	7
30	टीसीआईएल	-11.90				
31	बीएचईएल-ईएमएल	-0.37	-55.00	-1.06	-3.79	2.00
32	एनपीपीसी	-11.90	-14.58	-14.73	-11.38	-25.02
(ख) हानि में चल रही सीपीएसई का उप योग-		**-2673.85**	**-3330.70**	**-2915.31**	**-3049.80**	**-1492.74**
महा योग (क और ख)		**7707.60**	**6183.56**	**2287.87**	**-931.77**	**401.59**

नोट: (i) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उद्यम बीपीएमई, डब्ल्यूआईएल, बीबीवीएल, आरबीएल, टेफ्को, सीसीआईएल, बीएलसी, एनबीसीआईएल, एमएएमसी, एनआईडीसी, बीओजीएल, आरआईसी और बीवाईएनएल बंद हो चुके हैं।

(ii) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल) और बीएससीएल रेल मंत्रालय को अगस्त-सितम्बर 2010 में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

(iii) बीएचपीवी का बीएचईएल के साथ विलय कर दिया गया है।

(iv) टीसीआईएल के आंकडे उपलबध नहीं हैं क्यों कि कंपनी को समाप्त किया जा रहा है।

भारी उद्योग विभाग

योजना आयोग द्वारा भारी उद्योग विभाग के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना 2015-16

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		अनुमोदित वार्षिक योजना (2015-16)				क्र.सं.
			जीबीएस	आईआर	ईबीआर	अन्य	कुल योजना
1	2		3	4	5	6	7
क	ऑटोमोटिव सेक्टर का संवर्धन-नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डव्लपमेंट इन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्ट (नेट्रिप)-एक स्वायत्त निकाय		300.00	0.00	0.00	0.00	**300.00**
ख	इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऑटोमोटिव सेक्टर परीक्षण अवसंरचना और आरएंडडी परियोजनाओं की स्कीमें/भारत में हाइब्रिड और विद्युत वाहनों का तीव्रता से अंगीकरण और विनिर्माण (फेम-इण्डिया)		75.00	0.00	0.00	0.00	**75.00**
ग	थर्मल पावर प्लांट्स के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (उन्त यूएससी) प्रौदयोगिकी का आरएंडडी परियोजना विकास		50.00	0.00	0.00	0.00	**50.00**
घ	केपिटल गुड्स उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि संबंधी स्कीम		25.00	0.00	0.00	0.00	**25.00**
ङ	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ परियोजनाएं/स्कीम हेतु प्रावधान (कछाड़ पेपर मिल को सहायता अनुदान)		50.00	0.00	0.00	0.00	**50.00**
च	सचिवालय आर्थिक सेवाएं		2.88	0.00	0.00	0.00	**2.88**
छ	फ्लूइड कंट्रोल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई) को अनुदान		2.00	1.10	0.00	0.00	**3.10**
ज	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेश						
	(i)	एचएमटी (धारक)	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	(ii)	एचएमटी (बेयरिंग्स)	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	(iii)	एचएमटी (वाचेज)	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	(iv)	एसआईएल	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	(v)	नेपा	50.99	0.00	0.00	84.00	**134.99**

क्र.सं.	स्कीम/मदें	अनुमोदित वार्षिक योजना (2015-16)				
		जीबीएस	आईआर	ईबीआर	अन्य	कुल योजना
1	2	3	4	5	6	7
(vi)	एचपीएफ	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
(vii)	एनपीपीसी (पूर्वोत्तर क्षेत्र में)	54.00	0.00	0.00	0.00	**54.00**
(viii)	एवाईसीएल	0.00	17.71	0.00	43.29	**61.00**
(ix)	बीएचईएल	0.00	516.00	0.00	0.00	**516.00**
(x)	बीबीयूएनएल	0.00	4.38	0.00	0.00	**4.38**
(xi)	बीबीजे	0.00	112.26	0.00	0.00	**112.26**
(xii)	बीपीसीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
(xiii)	बीएंडआर	0.00	20.00	0.00	0.00	**20.00**
(xiv)	आरएंडसी	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
(xv)	टीएसपीएल	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
(xvi)	एचईसी	50.00	0.00	0.00	0.00	**50.00**
(xvii)	आईएलके	0.00	0.00	0.00	5.00	**5.00**
(xviii)	आरईआईएल	0.00	4.00	0.00	0.00	**4.00**
(xix)	एसआईएल	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
(xx)	एचपीसी	0.00	19.57	0.00	0.00	**19.57**
(xxi)	एचएनएल	0.00	5.00	0.00	12.10	**17.10**
(xxii)	सीसीआई	0.00	33.81	0.00	0.00	**33.81**
(xxiii)	एचएसएल/एसएसएल	10.00	0.00	0.00	0.00	**10.00**
(xxiv)	ईपीआई	0.00	17.00	0.00	0.00	**17.00**
(xxvi)	जेपीएमएल	0.01	0.00	0.00	0.00	**0.01**
	कुल (ज)	**165.00**	**749.73**	**0.00**	**144.39**	**1059.12**
सकल योग (क + ख + ग + घ + ङ + च + छ + ज):		**669.88**	**750.83**	**0.00**	**144.39**	**1565.10**

योजना/योजनेतर स्कीमों/मदों का वित्तीय परिव्यय, अनुमानित, वास्तविक आउटपुट और परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16		मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणियां/जोखिम घटक
			योजना	सीईबीआर			
क	ऑटोमोटिव उद्योग में अनुसंधान व विकास राष्ट्रीय ऑटोमोटिव आर एंड डी अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप)	(i) महत्वपूर्ण रूप से वर्धित वाहन संबंधी सुरक्षा, कार्य निष्पादन स्वास्थ्य पर अपने उक्त प्रभाव के लिए सरकार मौजूदा और उभरते मानक अधिवेश हेतु वाहनों और पुर्जों की जाँच करने के लिए विश्व-स्तर की अवसंरचना स्थापित करना। (ii) भारत में ऑटोमोटिव विनिर्माणी को सुदृढ़ करना, वर्धित मूल्य संवर्धन और इस प्रकार इस क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ाना। (iii) ऑटो नीति को आगे सफलीभूत करने में ऑटोमोबाइल और ऑटों कम्पोनेंटस हेतु वैश्विक आउटसोर्सिंग आधार के रूप में भारत का उभरना।	300.00 करोड़ (ऋण)	-	(क) ईएमसी, फैटीग, पॉवर ट्रेन और पेस्सिव सेफ्टी लैब, इन्फोट्रोनिक्स, जीएआरसी चेन्नई में फोटोमेटरी लैब में सिविल और उपयोगिता निर्माण कार्यों को पूरा करना। (ख) जीएआरसी चेन्नई में फैटीग लैब टेस्ट प्लेटफार्म, सीईआरटी लैब संस्थापित करना, शुरू करना और स्वीकार करना। (ग) नेट्रेक्स, इंदौर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स से संबंधित कार्य (घ) 2014-15 के अपूर्ण लक्ष्यों अर्थात् एआरएआई, आईसीएटी और जीएआरसी में पेस्सिव सेफ्टी, पॉवर ट्रेन ईएमसी, और फैटीग लैब को पूरा करना।	वर्ष के दौरान सिविल कार्य शुरू करने और उपकरणों का आर्डर देने के लिए अभिज्ञात कार्यकलाप शुरू करना।	प्रौद्योगिकीय और संविदात्मक मुद्दें।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीमों/ कार्यक्रमों का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16		मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1.	2.	3.	4		5	6	7	8
			योजना	सीईबीआर				
ख	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान (कछाड़ पेपर मिल को सहायता अनुदान)	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की एक इकाई कछाड़ पेपर मिल (सीपीएम) को परिवहन के कारण अपनी प्रचालन लागत को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान। सीपीएम सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अवसंरचनात्मक रूप से औद्योगिकीय पिछड़े क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा सीपीएम के आसपास का राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रेल नेटवर्क/	50.00	-	(i)एएफबीसी बॉयलर को चालू करना (₹15.00 करोड़) (ii) संशोधन सहित पेपर मशीन एंड पल्प मिल स्तरोन्नयन (₹17.00 करोड़) (iii)सीपीएम परिसर के आसपास मीटर गेज रेलवे का ब्रॉडगेज में परिवर्तन (₹14.00 करोड़)	(i) ए एफ बी सी ब्वॉयलर्स की शुरूआत से कोयले पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि इसे अन्य आपूर्ति स्टॉक की भांति प्रचालित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, कोयले की खपत को न्यूनतम किया जा सकता है तथा सस्ती सीमित विद्युत कम लागत पर उपलब्ध होगी। ₹8000/- प्रति टन औसत लागत पर प्रतिदिन 500 मीट्रिक टन कोयले की खपत इतनी ही लागत पर 300 मीट्रिक टन रह जाएगी। फलस्वरूप, प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन कोयला खपत की बचत होगी जो प्रतिदिन ₹16 लाख और लगभग ₹4.5 करोड़ प्रति माह के बराबर है। (ii) इससे पल्प की गुणवत्ता में वृद्धि होगी जिससे मैपलिथो कागज़ के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, जिससे ₹3000/- पीएमटी का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। यह मानते हुए कि प्रतिमाह 9000 टन का उत्पादन होता है और यदि हम मैपलिथो कागज़ का उत्पादन मौजूदा 4000 मी.टन से बढ़ाकर 7000 मी. टन कर दें तो प्रति	लागू नहीं	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से समय पर स्वीकृति आवश्यक है।

क्र. सं.	स्कीमों/ कार्यक्रमों का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16		मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1.	2.	3.	4		5	6	7	8
			योजना	सीईबी आर				
		स्थानीय सड़क संपर्क भी खराब है।			(iv) बांस यार्ड और कोयला यार्ड संशोधन (₹4.00 करोड़)	माह ₹90 लाख और प्रति वर्ष लगभग ₹10 करोड़ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। (**iii**) यह माल की आवाजाही ट्रकों से करने के बजाय रेल द्वारा किए जाने को सुसाध्य बनाएगा जिसके फलस्वरूप ₹4000/- पीएमटी की बचत होगी, जिसका अर्थ है प्रतिवर्ष ₹40.00 करोड़ की बचत। (**iv**) इसके फलस्वरूप यार्ड हानि कम से कम होगी जो फिलहाल 10% हो रही है, जिसका अर्थ यह हुआ कि दोनों ही असबाब पर ₹10 करोड़ प्रति वर्ष की बचत।		

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीमों/ कार्यक्रमों का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16		मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			योजना	सीईबीआर				
ग	सीपीएसई में निवेश	रूग्ण/हानि उठा रहे सीपीएसई को उनके पुनरुद्धार/पुनर्गठन और परियोजना आधारित सहायता के द्वारा सुदृढ़ और प्रभावी बनाना।			विभाग के सीपीएसई के निष्पादन की समीक्षा समझौता ज्ञापन लक्ष्यों की तुलना में आवधिक रूप से अलग-अलग स्तरों पर की जाती है ताकि अड़चनों से निपटने के लिए समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। तद्नुसार, विभाग के अंतर्गत लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड तथा अन्य मंत्रालयों के परामर्श से उन कंपनियों की नए सिरे पहचान की जा रही है जिनका पुनर्गठन और पुनरूद्धार किया जा सकता है। 28 सीपीएसईज में से 19 सीपीएसईज़ सरकार द्वारा पुनरुद्धार/ पुनर्गठन के लिए अनुमेदित किए गए हैं।	इन सीपीएसई को वित्तीय सहायता के फलस्वरूप उनका पुनरुद्धार होगा जिससे अधिक उत्पादन होगा।	लागू नहीं	स्थानीय कानून व्यवस्था की स्थिति और समय पर निविदा दिया जाना तथा इसका कार्यान्वयन
(i)	एनपीपीसी		54.00		(i) सीसीईए के दिनांक 04.06.2013 के अनुमोदना नुसार, चरण-I में भारत सरकार द्वारा नई निधियां इक्विटी के रूप में दिए जाने से नगालैंड पल्प एंड पेपर कॉर्पोरेशन (एनपीपीसी) का स्वीकृत की गई निधियों से पुनरुद्धार होगा। निधियां मुख्य रूप से मुख्य संयंत्र के आवश्यक निर्माण कार्यों में उपयोग की जाएंगी और परीक्षण के तौर पर उत्पादन दिसंबर, 2016 तक शुरू किया जा सकता है।			
(ii)	नेपा लिमिटेड		50.99	84.00	(ii) मंत्रिमंडल के 06.09.2012 के निर्णय के अनुसार, कुल पूंजीगत व्यय के आंशिक व्यय को पूरा करने के लिए नई इक्विटी के रूप में नई निधियों के साथ वित्तीय पुनर्संरचना के माध्यम से निधियों से नेपा लिमिटेड का पुनरुद्धार होगा।			

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीमों/ कार्यक्रमों का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16		मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			योजना	सीईबीआर				
(iii)	एचईसी	रूग्ण/हानि उठा रहे सीपीएसई को उनके पुनरुद्धार/पुनर्गठन और परियोजना आधारित सहायता के द्वारा सुदृढ़ और प्रभावी बनाना।	50.00		(iii) आबंटित निधियों से क्षमताएं बढ़ेगी और उनका विविधीकरण होगा तथा पुरानी पड़ चुकी सुविधाओं को प्रति-स्थापित/उन्नयन करने, नई सुविधाओं को जोड़ने और हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में नई प्रौद्योगिकी लाने से उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।	इन सीपीएसई को वित्तीय सहायता के फलस्वरूप उनका पुनरुद्धार होगा।	लागू नहीं	
(iv)	एचएसएल		10.00		(iv) आंबटित निधियों से सामान्य नमक उत्पादन बढ़ेगा साम्भर झील, जयपुर में पैकिंग युक्त पेयजल बॉटलिंग संयंत्र स्थापित होगा, खारे पानी की आपूर्ति आदि के लिए हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) की पाइप लाइन बिछाने का कार्य होगा।			
(v)	जेपीएमएल		0.01		(v) जगदीशपुर पेपर मिल लिमिटेड (जेपीएमएल) स्थापित किए जाने की परियोजना अब भी शुरू की जानी बाकी है क्योंकि भूमि अधिग्रहण का मामला मुकदमेबाजी में उलझा हुआ है।			
	कुल		**165.00**					

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीमों/कार्य क्रमों का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16		मात्रात्मक सुपुर्दगियां / वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1.	2.	3.	4		5	6	7	8
			योजना	सीईबीआर				
घ	नई स्कीम: भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि	भारतीय केपिटल सेक्टर का विकास और वृद्दि	25.00		सीएमटीआई द्वारा स्वदेशी रेपियर करघे के पहले प्रोटोटाइप का डिजाइन और विकास	टीएमएमए (सूरत सीएफसी), आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बोम्बे तथा आईआईटी दिल्ली के लिए परियोजना अनुमोदन	टीएजीएमए को पहली किस्त की पहली तिमाही निर्मुक्ति। दूसरी तिमाही- आईआईटी-खड़गपुर, आईआईटी- बोम्बे, आईआईटी- मद्रास, टीएमएमए (सूरत सीएफसी) को परियोजना अनुमोदन। आईआईटी दिल्ली को तीसरी तिमाही परियोजना अनुमोदन। आईआईटी- खड़गपुर, आईआईटी- बोम्बे, आईआईटी-मद्रास, टीएमएमए (सूरत सीएफसी) को पहली किस्त की निर्मुक्ति। आईआईटी- दिल्ली को चौथी तिमाही परियोजना अनुमोदन। सीएमटीआई-टीएमएमए को दूसरी किस्त की निर्मुक्ति।	परियोजना का अनुमोदन, परियोजना कार्यान्वयनकारी संगठनो द्वारा भूमि और भवन अधिग्रहण, विशेष प्रयोजन व्हीकल समय पर तैयार होने आदि कारकों पर निर्भर करेगा। निधियों की निर्मुक्ति उद्योग की तरफ से त्वरित अंशदान पर निर्भर करेगी।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीमों/ कार्यक्रमों का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16		मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			योजना	सीईबीआर				
ङ	थर्मल विद्युत संयंत्रों के लिए एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी के मिशन मोड में विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजना	800 मेगावाट क्षमता के कोयला चालित थर्मल विद्युत संयंत्र का स्वदेशी तरीके से डिजाइन का विकास, 710 डिग्री सेल्सियस के भाप प्राचलों और 310 बार प्रेशर के साथ प्रचालन।	50.00		विद्युत संयंत्र की थर्मल दक्षता 38% से बढ़कर 45% हो जाएगी और कार्बन-डाई-आक्साइड का प्रति मेगावाट उत्सर्जन काफी हद तक कम होगा।	प्रस्तावित परियोजना, स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी और विनिर्माण प्रक्रिया से उच्चतर दक्षतायुक्त कोयला चालित विद्युत संयंत्रों को डिज़ाइन करने, उनका विनिर्माण और शुरू करने में भारतीय उद्योगों को समर्थ बनाएगी।	भारत सरकार द्वारा स्कीम स्वीकृत किए जाने से 2 1/2 वर्ष	___

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीमों/ कार्यक्रमों का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय **2015-16**		मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	**2**	**3**	**4**		**5**	**6**	**7**	**8**
			योजना	सीईबीआर				
च	ऑटोमोटिव सेक्टर में स्कीमें - इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परीक्षण अवसंरचना तथा अनुसंधान और विकास परियोजनाएं/ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण तथा विनिर्माण (फेम)	स्कीम (फेम) का उद्देश्य तीव्र अंगीकरण (बाजार सृजन एवं संबद्ध क्रियाकलाप), घरेलू प्रौद्योगिकी विकास (अनुसंधान और विकास) और स्वच्छ इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकियां जिनमें मध्यम हाइब्रिड, पूर्ण हाइब्रिड वाहन (एचईवी), प्लग-इन हाइब्रिड वाहन (बीईवी) (सामूहिक रूप से एक्सईवीज़) की पूरी रेंज के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। । सुदृढ़, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, व्यवहार्य और आत्मनिर्भर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और भारत में इसका पारिस्थितिकी तंत्र।	75.00		(i)प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म (परीक्षण अवसंरचना सहित) (₹ 18.00 करोड़) (ii) मांग प्रोत्साहन (₹ 46.50 करोड़) (iii) चार्ज करने की बुनियादी सुविधाएँ (₹ 3.00 करोड़) (iv) प्रायोगिक परियोजना (₹ 6.00 करोड़) (v) आईईसी/प्रचालन (₹ 1.50 करोड़)	मांग प्रोत्साहन के ई-समर्थित अंतरण के लिए वेब अनुप्रयोग का विकास। स्कीम के अनुसार ओईएम को मांग प्रोत्साहनों का कार्यान्वयन और निर्मुक्ति।	जून, 2015 जुलाई, 15 से मार्च, 16	-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीमों/ कार्यक्रमों का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16		मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			योजना	सीईबीआर				
छ	फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई) को सहायता अनुदान	फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम्स, फ्लूइड कंट्रोल एलीमेन्ट का विकास, फ्लो इंजीनियरी के क्षेत्र में मानव संसाधन और प्रशिक्षण का अनुसंधान और विकास।	2.00	1.10	एलपीजी फ्लो और घनत्व परीक्षण सुविधा की स्थापना, सूचना सुरक्षा प्रणाली की स्थापना, कंपन संवेदन केलिब्रेशन प्रणाली की स्थापना, स्वचालित सम्पीडित गैस सिलिन्डर्स परीक्षण सुविधा आदि।	एलपीजी फ्लो और घनत्व परीक्षण सुविधा का सृजन, संस्थान, की सूचना की सुरक्षा पर्यावरणीय एवं भूकंप परीक्षण अनुप्रयोगों के लिए उपयोग होने वाले कंपन संवेदकों का आईएसओ मानकों के अनुसार पता लगने योग्य केलिब्रेशन दक्षिण भारत में सीएनजी कासकेड्स के परीक्षण की सुविधा आदि।	अगस्त, 2015-अप्रैल, 2017	

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीमों/ कार्यक्रमों का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
			योजनेतर				
ज	सीपीएसई के पुनरुद्धार/ पुनर्गठन के लिए वीआरएस / वीएसएस तथा सांविधिक देयताओं के कार्यान्वयन की स्कीम (एकमुश्त प्रावधान)।	भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में सांविधिक देयताओं तथा वेतन / मजदूरी के परिसमापन के लिए भारत सरकार ने आज की तारीख तक लगभग ₹3000 करोड़ से अधिक राशि जारी की है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में से अधिकतर उद्यमों की परिसंपत्तियां निरुद्योग पड़ी है और कर्मचारी/ कामगार भी वैकल्पिक रोज़गार प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रस्ताव से जनशक्ति और भौतिक आस्तियों का लाभप्रद उपयोग हो सकेगा।	884.00	1. सरकार भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निष्क्रिय कामगारों की वेतन आदि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान में आवश्यक मूल्यवान राशि बचा सकेगी। आवर्ती आधार पर बचत होने से इन निधियों को जनशक्ति के अधिक लाभप्रद उपयोग करने के अलावा विकास तथा लोक कल्याण प्रयोजनों के लिए कहीं और भी लाभकारी ढंग से लगाया जा सकता है। 2. चल परिसंपत्तियों, जैसे संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और जुड़नार, वाहन आदि की या तो नीलामी की जा सकती है या धारक/सहायक/ एसोसिएट सीपीएसई अथवा सरकार/सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय को स्थानांतरित किया जा सकता है। अचल परिसंपत्तियां अर्थात् भूमि और / अथवा भवन प्रत्येक मामले में पट्टे/स्वामित्व के निबंधनों के आधार पर केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार की इकाइयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को ही स्थानांतरित किया जा सकता है।		1. बंद करने के साथ-साथ 2015-16 में वीआरएस / वीएसएस / छँटनी के लिए कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। 2. बंद होने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर।	संबंधित प्रशासनिक प्रभागों द्वारा एक अलग नोट सीसीईए को प्रस्तुत किया जाएगा और इन पांच सीपीएसई अर्थात् एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड, एचएमटी (वाचिज) लिमिटेड, एचएमटी (चिनार वाचिज) लिमिटेड, तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल) और हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) के संबंध में मांगे गए अनुमोदन में समय-सीमा से अधिक समय लगेगा।

क्र. सं.	स्कीमों/ कार्यक्रमों का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणियां / जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
			योजनेतर				
झ	ऑटोमोबाइल और संबद्ध सेक्टर विकास परिषद (डीसीएएआई) को अनुदान	राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 को पूरा करने और सुरक्षा एवं उत्सर्जन के बदलते मानकों के अनुसार अनुसंधान संस्थान अर्थात् एआरएआई, पुणे, वीआरडीई, अहमदनगर तथा सीआईआरटी, पुणे और देश में अनुसंधान और विकास के अन्य संस्थानों पर वाहनों के परिक्षण के लिए सुविधाओं को स्थापित करने संबंधी नई तथा जारी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सहायता। इसके अलावा विभाग यूनिडो - एक्मा परियोजनाओं को सहायता देता है जिनका उद्देश्य लघु और मध्यम उद्यमों को व्यावहारिक सेवाएं प्रदान करना है।	48.00	राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान **2020** देश की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करते हुए लोगों को स्वच्छ मोबिलिटी समाधान उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, आटोमोटिव सेक्टर में अनुसंधान और विकास की विभिन्न परियोजनाओं में कौशल विकास होगा। इससे ऑटोमोटिव कलपुर्जा उद्योग में घरेलू लघु और मध्यम उद्यमों के निष्पादन में सुधार होगा जिससे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला आवश्यकताओं (गुणवत्ता, लागत और डिलीवरी) में उनका समावेशन सुकर होगा, निचले स्तर के आपूर्तिकर्ताओं सहित भारत में आपूर्ति श्रृंखला के साथ बढ़ती संख्या में लक्ष्य कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता का स्तरोन्नयन तथा वृद्धि होगी।		---	---

क्र. सं.	स्कीमों/ कार्यक्रमों का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16		मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)				
			योजना	योजनेतर				
अ	(क) सचिवालय आर्थिक सेवाएं	वेतन, स्थापना, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय आदि सहित सचिवालय व्यय को पूरा करने तथा ई-ऑफिस, रिकॉर्ड का डिजीटलीकरण आदि के कार्यान्वयन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए।	2.88	19.85	वेतन, स्थापना, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय आदि सहित विभाग के सचिवालय व्यय पूरे किए जाएंगे। ई-ऑफिस, डिजीटलीकरण आदि के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी भी की जाएगी।		-----	-----
	(ख) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) को अनुदान	एचएसएल के तत्कालीन साल्ट विभाग के कर्मचारियों के पेंशनधारकों को भुगतान।	-	2.00	इससे एचएसएल के तत्कालीन साल्ट विभाग के कर्मचारियों के पेंशनधारकों की देनदारियां पूरी हो जाएंगी।		-----	-----
	(ग) संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए उद्योग एसोसिएशन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता अनुदान की स्कीम	विभाग में उद्योग/व्यापार संबंधी क्रियाकलापों का संवर्धन।	-	1.00	मेक इन इंडिया अभियान की पृष्ठभूमि में विभाग में उद्योग/व्यापार संबंधी क्रियाकलापों का संवर्धन होगा।		-----	-----

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय परिव्यय, अनुमानित आउटपुट और परिणाम

1. एंड्रूयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीमों/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय-2015-16 (करोड़ ₹ में)			मात्रात्मक/ सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
			योजनेतर	योजना					
1.	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्कम स्कीम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल चाय बागान और असम चाय बागान दोनों में पौद रोपण और अपग्रेडेशन सुविधाएं	पैदावार, उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करना	--	--	6.00	वर्ष 2015-16 के दौरान उत्पादन और बिक्री बढ़ जाएगी अर्थात् बिक्री और उत्पादन ₹ 395.00 और पी बी टी. ₹ 21.00 हो जाएगा।		निदेशक मंडल द्वारा केपेक्स की स्वीकृति तारीख से 1 वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाएगा।	योजना के बगैर कंपनी की वहनीयता बुरी तरह प्रभावित होगी।
2.	इंजीनियरी और विद्युत प्रभागों में सुविधाओं का अपग्रेडेशन	उत्पादकता में सुधार करना	--	--	5.00			निदेश् मंडल द्वारा केपेक्स की स्वीकृति तारिख से 1 वर्ष के भीतर निष्पादित किया जाएगा।	
3	ट्रांसफॉर्मर विनिर्माण का उच्च स्तर पर प्रसार	मौजूदा व्यापार का स्तरोन्नयन	--	--	50.00			2016-17 के भीतर	
	योग				**61.00**				

2. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीमों/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय-2015-16			मात्रात्मक/सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			योजनेतर	योजना	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
क	बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयां/डिविजन/क्षेत्र								
1.	गैस टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन, इलेक्ट्रिकल मशीनें, ताप विनियामक, पम्प आदि	क्षमता संवर्धन	-	-	9	इंजीनियरिंग बिल्डिंग को पूरा करना	क्षमता संवर्धन	मार्च -16	
2.	त्रिची में बॉयलर शॉप के लिए बेलेंसिंस सुविधाएं	क्षमता वृद्धि	-	-	11	4 सुविधाओं की शुरूआत	क्षमता वृद्धि	मार्च -16	
3	ई डी एन में इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम का संवर्धन	क्षमता संवर्धन	-	-	6	सुविधा केन्द्रों के सहज परिचालन हेतु विद्युत आपूर्ति में सुधार	क्षमता संवर्धन	मार्च -16	
4	एच पी वी पी, विशाखापट्टनम में आधुनीकीकरण स्कीम	क्षमता संवर्धन	-	-	44	50000 मी.टन प्रतिवर्ष डिलीवर करने की क्षमता	क्षमता संवर्धन	मार्च -16	
5	एस.एस.टी.पी. में सुपर क्रिटिकल बॉयलरों के लिए टी 91 ग्रेड मिश्रधातु इस्पात ट्यूबों/पाइप्स का विनिर्माण करने के लिए सुविधाओं का संवर्धन	क्षमता वृद्धि	-	-	26	टी 91 ग्रेड के मिश्रधातु इस्पात ट्यूबों/पाइपों की इन-हाउस विनिर्माण क्षमता	क्षमता वृद्धि	मार्च-16	

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीमों/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय-2015-16			मात्रात्मक/सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			योजनेतर	योजना	आईईबीआर				
क	**बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयां/डिविजन/क्षेत्र**								
6	अन्य स्कीमें	क्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि	-	-	4	सुविधाओं के चालू करने के लिए विविध भुगतान	क्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि	मार्च 16	
7	गुणवत्ता सहित आधुनिकीकरण और युक्तसंगत उपकरण (एम एंड आर)	आधुनिकीकरण संबंधी मदें	-	-	114	पुरानी सुविधाओं का प्रतिस्थापन और उन्नत सुविधाओं का परिवर्धन	आधुनिकीकरण संबंधी मदें	जारी	
8	टाउनशिप और कल्याण	टाउनशिप और कल्याण मदें	-	-	37	चिकित्सा मदों का प्रावधान, कंपनी की भूमि की सुरक्षा हेतु चाहरदीवारी का प्रावधान	टाउनशिप और कल्याण मदें	जारी	
9	ग्राहक परियोजना से सम्बद्ध पूँजीगत निवेश	सामर्थ्य में वृद्धि और स्थलों के लिए बुनियादी सुविधाएं	-	-	89	सामर्थ्य में वृद्धि और स्थलों के लिए बुनियादी सुविधाएं	सामर्थ्य में वृद्धि और स्थलों के लिए बुनियादी सुविधाएं	जारी	
	उप-योग (क)		-	0	341				

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीमों/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय-2015-16 (करोड़ ₹ में)			मात्रात्मक/सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			योजनेतर	योजना	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
ख	संयुक्त उद्यमों में निवेश								
1	एनटीपीसी-बीएचईएल विद्युत परियोजना लिमिटेड	साम्या निवेश	-	-	25	वास्तविक आउटपुट नहीं			
2	रायचूर पॉवर कोर्पोरेशन लिमिटेड येरामारूस	साम्या निवेश	-	-	120	वास्तविक आउटपुट नहीं			
3	नाभिकीय संयुक्त उद्यम	साम्या निवेश	-	-	30	वास्तविक आउटपुट नहीं			
	उप योग (ख)		-	-	**175**				
ग	कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (उन्नत यूएससी) के विकास हेतु सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजना (*)	ए-यूएससी पॉवर संयंत्र	-	50	516	ए-यूएससी पॉवर संयंत्र	ए-यूएससी पॉवर संयंत्र		
योग (क+ख+ग)			-	**50**	**516**				

(*) : कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (उन्नत यूएससी) प्रौद्योगिकी के विकास हेतु सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए भारी उद्योग विभाग से आंशिक बजटीय सहायता।

12वीं योजना में उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (उन्नत यूएससी) प्रौद्योगिकी के विकास हेतु सरकार द्वारा प्रायोजित आर एंड डी परियोजना के लिए भारी उद्योग विभाग से कुल ₹1100 करोड़ के निधियन की मांग की गई है। शेष राशि का योगदान क्रमशः बीएचईएल, आईजीसीएआर और एनटीपीसी द्वारा किया जाएगा।

3. सीमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिय लिमिटेड (सीसीआईएल)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीमों/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 (करोड़ ₹ में)			मात्रात्मक/सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			योजनेतर बजट	योजना बजट	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	सिल्चर इकाई (बोकाजन विस्तार का एक हिस्सा)	त्रिपुरा, सिल्चर आदि में निवेश का पता लगाना	-	-	2.00	संयंत्र का कुशल प्रचालन	ग्राइंडिंग क्षमता का विस्तार	मार्च 16	
2	तांदूर	संयंत्र का आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन	-	-	31.81	अपग्रेडेशन से ऊर्जा लागत में बचत हुई जिसके फलस्वरूप हम बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ हुए	विद्युत और कोयले की बचत	मार्च 16	
	योग				**33.81**				

नोटः स्वीकृत योजना के अनुसार उपर्युक्त परियोजना को धनराशि 7 गैर-प्रचालन इकाइयों की ब्रिक्री से होने बाली आय से दी जानी है, जिसमें विलम्ब है, अतः उपर्युक्त परियोजना अपने निजी उत्पादन से शुरू की जाएगी।

4. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि(एचएमटी और इसकी सहायक कंपनियां)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया /समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
			योजनेतर	योजना	सीईबीआर				
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
1.	**एचएमटी लिमिटेड**								
	साक्षेउ को बंद करना	मंत्रिमंडल के दिनांक 29.12.2014 के निर्णय के अनुसार प्रस्तावित बंदीकरण	*	-	-	1055 कर्मचारियों को वीआरएस /वीएसएस का प्रस्ताव	मंत्रिमंडल के दिनांक 29.12.2014 के निर्णय के अनुसार प्रस्तावित बंदीकरण	मंजूरी/ निधि जारी होने से 6 माह	-
2.	**एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड**								
	साक्षेउ को बंद करना	मंत्रिमंडल के दिनांक 29.12.2014 के निर्णय के अनुसार प्रस्तावित बंदीकरण	*	-	-	1055 कर्मचारियों को वीआरएस /वीएसएस का प्रस्ताव	मंत्रिमंडल के दिनांक 29.12.2014 के निर्णय के अनुसार प्रस्तावित बंदीकरण	मंजूरी/ निधि जारी होने से 6 माह	-
3.	**एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड**								
	साक्षेउ को बंद करना	मंत्रिमंडल के दिनांक 29.12.2014 के निर्णय के अनुसार प्रस्तावित बंदीकरण	*	-	-	1055 कर्मचारियों को वीआरएस /वीएसएस का प्रस्ताव	मंत्रिमंडल के दिनांक 29.12.2014 के निर्णय के अनुसार प्रस्तावित बंदीकरण	मंजूरी/ निधि जारी होने से 6 माह	-

*** प्रत्येक मामले में मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार योजनेतर निधियां वितरित की जाएंगी।**

5. हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
			योजनेतर	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
1	हीटिंग/ हीट ट्रीटमेंट फरनेस का नवीकरण (एफएफपी में फोर्जिंग सुविधाओं के उन्नयन का भाग)	इनगॉट के हीटिंग समय में कटौती जिससे फोर्ज का उत्पादन बढे। हीट ट्रीटमेंट समय में कटौती।	0.00	2.45	-	कंपनी प्रेस उपयोग को 20-15% से 75% करने का लक्ष्य कर रही है।	अन्य दो प्रेसों के उन्नयन के साथ 700 टन/प्रति माह का अतिरिक्त उत्पादन	कुल 17 फरनेस बनाई जाएंगी। इनमें से दो पूरी हो चुकी हैं तथा अन्य दो बनाई जा रही हैं। चरणों में पूरी होंगी।	-
2	03 शॉप में कंप्रेशर का इंस्टालेशन(एफएफपी में फोर्जिंग सुविधाओं के उन्नयन का भाग)	कम विद्युत की ओर विकेन्द्रित करते हुए विद्युत गहन केन्द्रीकृत कंप्रेशर यूनिट को चरणबद्ध रूप से हटाना	0.00	2.10	-	केन्द्रीकृत कंप्रेशर यूनिट को बंद करने के बाद विद्युत खपत में 10-15% कटौती	लगभग 75 लाख रुपए प्रति वर्ष की बचत	खरीद और कमिशनिंग 6 माह में	-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
			योजनेतर	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
3	मोल्ड/कोर ड्राइंग फरनेस का नवीकरण	कास्टिंग साइकिल समय में कटौती, मॉल्ड की गुणवत्ता में सुधार जिससे कास्टिंग में सुधार हो।	0.00	4.00	-	मध्यवर्ती चरण में कास्टिंग के रिजेक्शन में 15-20% की कटौती। इससे प्रोड्यूसर गैस संयंत्र इकाई को चरणबद्ध रूप से बंद करने में सहायता मिलेगी।	300 टन अतिरिक्त कास्टिंग उत्पादन	तीन फरनेस बनाई जाएंगी। ऑर्डर दिए जाने के बाद पांच माह में बाहरी एजेन्सी से कार्य	-
4	लेडल प्री हीटर और स्टॉपर प्री-हीटर का नवीकरण (एफएफपी में फाउण्ड्री सुविधाओं के उन्नयन का भाग)	लेडल की एकसमान हीटिंग और हीटिंग समय में कमी।	0.00	1.06	-	इससे प्रोड्यूसर गैस संयंत्र इकाई को चरणबद्ध रूप से बंद करने में सहायता मिलेगी।		ऑर्डर दिए जाने के बाद तीन माह में बाहरी एजेन्सी द्वारा कार्य	-
5	हीट ट्रीटमेंट फरनेस का नवीकरण(एफ एफपी में फेट्टिंलग	हीट ट्रीटमेंट की गुणवत्ता में सुधार और कास्टिंग के हीट ट्रीटमेंट समय में कटौती।	0.00	6.00	-	कंपनी का कास्टिंग उत्पादन को बढाने और प्रौड्यूसर गैस संयंत्र को बंद करने का लक्ष्य है।	गुणवत्ता में सुधार	दो फरनेस बनाई जाएंगी। मार्च-16 तक पूरी होंगी।	

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
			योजनेतर	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
	सुविधाओं के उन्नयन का भाग)								
6	एफ्ल्यूएंट जल शोधन संयंत्र का इंस्टालेशन	प्रदूषण निंयत्रण की सांविधिक आवश्यकता को पूरा करना। तथापि, इससे जल की लागत को कम करने में भी सहायता मिलेगी।	0.00	1.43	-	सांविधिक आवश्यकता। तथापि, इससे जल की लागत को कम करने में भी सहायता मिलेगी।	सांविधिक आवश्यकता। इसके अतिरिक्त, जल की लागत में 30-40% कमी	कार्य प्रगति पर है तथा सितम्बर, 2015 तक पूरा होने की संभावना है।	सांविधिक आवश्यकता
7	सीएनसी गीयर होबिंग मशीन की खरीद और इंस्टालेशन(एच एमबीपी में मशीनिंग सुविधाओं के उन्नयन का भाग)	स्पेयर, विशेष रूप से हाई वेल्यू गीयरिंग मदों के व्यवसाय को बढ़ाना।	0.00	30.00	-	₹20-25 करोड़ तक के स्पेयर व्यवसाय में वृद्धि	₹30 करोड़ तक गीयरिंग मदों का उत्पादन	निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक वर्ष में खरीद और कमिशनिंग	
8	सीएनसी फ्लेम कटिंग मशीन की खरीद और	ऐज तैयार करने के लिए मशीनिंग में कटौती हेतु तेजी से परिशुद्ध प्लेट	0.00	2.73	-	फेब्रिकेशन मदों के उत्पादन में 2160 टन प्रति वर्ष से 2012-13	1440 टन फेब्रिकेशन का अतिरिक्त उत्पादन	ऑर्डर दिया जा चुका है। सितम्बर-2015 तक कमिशनिंग की	पुरानी सीएनसी फ्लेम कटिंग का प्रतिस्थापन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
			योजनेतर	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
	इंस्टालेशन (एचएमबीपी में फेब्रिकेशन सुविधाओं के उन्नयन का भाग)	कटिंग जिससे फेब्रिकेशन मदों के उत्पादन में वृद्धि हो।				में 3600 टन की वृद्धि		संभावना है।	
9	ईआरपी के चयन और कार्यान्वयन हेतु परामर्शदाता का शुल्क (संयंत्रों और कार्पोरेट कार्यालय के लिए ईआरपी/एसएपी समाधान का भाग)	ईआरपी से बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण में सहायता मिलेगी। परामर्शदाता उपयुक्त ईआरपी पैकेज और ईआरपी कार्यान्वयन साझेदार के चयन में सहायता देगा।	0.00	0.23	-		बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण	ईआरपी के 29 माहों में प्रचालित होने की संभावना	
	योग		**0.00**	**50.00**	**-**				

6. हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया / समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
			योजनेतर	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
	एचपीसी (कछार पेपर मिल और नगांव पेपर मिल)	ऊर्जा, पर्यावरण सुरक्षा उपायों के साथ नवीकरण एवं प्रतिस्थापन सहित प्रतिस्पर्धात्मकता तथा सतत वृद्धि प्राप्त करना।	शून्य	50.00	19.57	2.07 लाख मीट्रिक टन कागज का उत्पादन	गुणवत्ता में सुधार, ऊर्जा संरक्षण उपाय और नवीकरण एवं प्रतिस्थापन		नियमित नवीकरण एवं प्रतिस्थापन के बिना, धारणीय प्रतिस्पर्धात्मकता एवं वृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती।

7. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य /परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया / समय सीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
			योजनेतर	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन रखरखाव, सिविल कार्य और अन्य	ऊर्जा, पर्यावरण सुरक्षा उपायों के साथ नवीकरण एवं प्रतिस्थापन सहित प्रतिस्पर्धात्मकता तथा सतत वृद्धि प्राप्त करना।	शून्य	---	17.10	1.10 लाख मीट्रिक टन न्यूजप्रिण्ट का उत्पादन	नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	--	नियमित नवीकरण एवं प्रतिस्थापन के बिना, धारणीय प्रतिस्पर्धात्मकता एवं वृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती।

8. जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड (जेपीएमएल)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया / समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
			योजनेतर	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	जेपीएमएल,अमेठी, जगदीशपुर में एक ग्रीनफील्ड पल्प एंड पेपर परियोजना स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण	उत्पाद विविधीकरण	---	0.01	---	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	--	परियोजना अभी प्रारंभ की जानी है।	भूमि अधिग्रहण न्यायिक प्रक्रिया में है।

9. नगालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य /परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया / समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4(i)	4(ii)	4(iii)	5	6	7	8
			योजनेतर	योजना	सीईबीआर				
1.	एनपीपीसी का पुनरुद्धार और उन्नयन	एनपीपीसी का पुनरुद्धार और उन्नयन	शून्य	54.00	--	रिकवरी बॉयलर, जो कुल परियोजना लागत का भाग है, के अतिरिक्त बॉयलर, पल्प मिल, कास्टिक जिंग, जल शोधन संयंत्र और पेपर मशीन के लिए आवश्यक सिविल कार्य।	परियोजना के पूरा होने के बाद, दिसम्बर, 2016 तक उत्पादन किया जा सकेगा।	नवम्बर, 2016	परियोजना 4.6.2013 को अनुमोदित की गई।

10. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया / समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4 (iii)				
			योजनेतर	योजना	आईईबीआर				
हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड									
1.क	**खारगोदा में** सहायक अवसंरचना के साथ नमक रिफायनरी की साल्ट वाशरी का उन्नयन और खारगोदा में बहु ईंधन बॉयलर एचएसएल इकाई का प्रतिस्थापन	नमक उत्पादन पुन: प्रारंभ करना मूल्य वर्धित उत्पादों को बढाना। केओडी एचएसएल में लगभग 30% तक ब्रोमीन उत्पादन बढ़ाने के लिए ईंधन लागत को घटाना।	-	3.00	-		-	सितम्बर-2015	-
सांभर साल्ट्स लिमिटेड									
2.क	**सांभर साल्ट्स वर्क्स और** सब सोइल ब्राइन मैकेनाइजेशन के एकत्रीकरण से सामान्य नमक के उत्पादन को बढाना, आंशिक यंत्रीकरण, बंद हो चुके उत्पादन के बुनियादी ढ़ांचे का पुनरुद्धार और नए उत्पादन क्षेत्रों तथा सहायक अवसंरचना का विकास	यह स्कीम नमक का उत्पादन बढाने के लिए गुढा और आसपास के क्षेत्र में परित्यक्त क्यारियों के पुनर्गठन तथा नए नमक उत्पादन क्षेत्रों के अवसंरचना विकास में सहायता देने के लिए है।	-	**2.75**		-		दिसम्बर - 2016	

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया / समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4 (iii)				
			योजनेतर	योजना	आईईबीआर				
2.ख	**मूल्य वर्धित उत्पाद सांभर साल्ट्स वर्क्स** सांभर साल्ट्स वर्क्स पर आधुनिकीकरण सहित गुढा साल्ट रिफायनरी और साल्ट अपग्रेडेशन संयंत्र का क्षमता विस्तार	गुढा साल्ट रिफायनरी और साल्ट अपग्रेडेशन संयंत्र में नमक का उत्पादन और उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाना।	-	2.75	-	-	-	दिसम्बर 2016	
2.ख	नवा क्षेत्र में साल्ट रिफायनरी	नमक उत्पादन की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए, कंपनी ने नवा में 2 लाख मीट्रिक टन क्षमता प्रति वर्ष वाली नमक रिफायनरी स्थापित करने की योजना बनाई है तथा वर्तमान बाजार परिदृश्य को देखते हुए, कंपनी परिवहन की कम लागत के कारण देश के उत्तरी भाग में रिफाइंड नमक सस्ती दरों पर बेच सकती है।	-	1.50	-	-	-	दिसमबर 2015	
3	पेशनरों के लिए पेंशन निधि	नमक विभाग के पुराने कर्मचारियों/पेंशनरों की पेंशन का भुगतान	2.00 (सहायता अनुदान)	-	-	-	-	-	-
	योग		**2.00**	**10.00**					

11. <u>नेपा लिमिटेड</u>

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16			मात्रात्मक सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	अनुमानित परिणाम रुपए में	प्रक्रिया / समयसीमा	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
			4 (i)	4 (ii)	4 (iii)				
1	2	3	योजनेतर	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन	5	6	7	8
1.	नेपा लिमिटेड आरएमडीपी (पुनरुद्धार और मिल विकास योजना) – सितम्बर, 2012 में स्वीकृत	➢ उत्पादकता में सुधार ➢ सुविधाओं और प्रचालन में अवरोध/कमियों से पार पाना। ➢ विशिष्ट इनपुट खपत में कमी	-	50.99	84.00 (वित्तीय संस्थानों से)	➢ 83,000 टीपीए का उत्पादन लक्ष्य होगा। ➢ उत्पाद विविधीकरण ➢ कंपनी आरएमडीपी के कार्यान्वयन से दूसरे वर्ष से लाभ अर्जित करना प्रारंभ करेगी।	➢ बाजार में स्वीकार्य गुणवत्ता वाले कागज का उत्पादन ➢ इष्टतम प्रचालन स्तरों पर बने रहना। ➢ कार्यकुशलता में सुधार।	मई 2016	आरएमडीपी के समय पर कार्यान्वयन से ये लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे अन्यथा कीमत वृद्धि के कारण लागत बढ़ेगी

भारी उद्योग विभाग के अधीन प्रमुख सकीमों/मदों में वर्ष 2014-15 में राशि अभ्यर्पण/बचतों के कारण

(₹ करोड़ में)

स्कीम / मद	बअ 2014-15	सअ 2014-15	बचतें / अभ्यर्पण	टिप्पणियां
राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण एवं अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप)	426.93 (सहायता अनुदान)	241.91	185.02	2014-15 में नेट्रिप को ₹ 426.93 करोड़ का आबंटन किया गया था परन्तु व्यय केवल 241.93 करोड रुपए का हुआ। तद्नुसार, संशोधित अनुमान चरण में नेट्रिप की निधियां घटा दी गई हैं क्योंकि उक्त परियोजना की वैधता अवधि 31.12.2014 को समाप्त हो गई है। इसलिए वर्ष 2014-15 के बजट आबंटन के अनुसार पूरी राशि नैट्रिप को जारी नहीं की जा सकी। उक्त परियोजना की अवधि 31.12.2017 तक बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल नोट अंतर-मंत्रालयी परामर्श के अधीन है।
थर्मल पावर प्लांटों के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल (एडीवी-यूएससी) प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास परियेाजना हेतु नई स्कीम	100.00	13.23	86.77	इस स्कीम के लिए चालू वित्त वर्ष में ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तथापि, मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को अभी अनुमोदित किया जाना है, इसलिए संशोधित अनुमान चरण में निधियां घटा दी गई हैं। परियोजना के लिए सीसीईए नोट की प्रति पीएमओ और मंत्रिमंडल सचिवालय को उसकेविचारार्थ/अनुमोदनार्थ पहले ही भेज दी गई है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद राशि जारी की जा सकती है।

(₹ करोड़ में)

स्कीम/मद	बअ 2014-15	सअ 2014-15	बचतें/राशि वापसी	टिप्पणियां
स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)	31.06	0.00	31.90	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) की पुनरुद्धार योजना के भाग के रूप में, पूंजीगत व्यय के लिए इक्विटी के रूप में वित्त वर्ष 2013-14 में 31.90 करोड़ जारी किए गए थे। तथापि, 2013-14 में जारी की गई निधियों में से, दिसम्बर, 2014 तक केवल 4.30 करोड़ व्यय किए जा सके। विलंब का कारण तकनीकि विनिर्देशों को फ्रीज करने में दक्षता की कमी और अन्य संबंधित मामले जैसे निविदा आदि रहे। चालू वित्त वर्ष में भी एसआईएल के पुनरुद्धार के भाग के रूप में 31.06 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तथापि, पिछले वित्त वर्ष में व्यय न हुई राशि के रहने के कारण, इस निधि को चालू वित्त वर्ष में जारी किए जाने की संभावना नहीं है। इसलिए, बजट अनुमान को संशोधित अनुमान चरण में शून्य कर दिया गया है।
हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन (एचपीसी)/ नगालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड (एनपीपीसी) में निवेश	25.00	0.00	25.00	एनपीपीसी की पुनरुद्धार योजना के भाग के रूप में ₹ 25.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया था। पुनरुद्धार योजना के भाग के रूप में वर्ष 2013-14 में ₹ 100 करोड़ जारी किए गए थे, जिनका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका। हालांकि निविदा का मूल्यांकन और शेष 7 पैकेजों का अनुमोदन पूरा हो चुका है, फिर भी,बीआईएफआर की मंजूरी न मिलने के कारण एमडीआरएस को निविदाएं नहीं दी जा सकीं। बीआईएफआर की मंजूरी 29 जनवरी, 2015 को मिली। संभावना है कि आगामी 3-4 माहों में भुगतान के लिए शेष राशि की भी आवश्यकता होगी। इसलिए, इस वर्ष में कोई निधि जारी करने की संभावना नहीं है और बजट अनुमान को संशोधित अनुमान चरण में शून्य कर दिया गया है।
जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड (जेपीएमएल)	55.00	18.00	37.00	जेपीएमएल स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु चालू वित्त वर्ष में ₹ 55.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है और भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 18.00 करोड़ हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन को जारी किए जा चुके हैं। भूमि अधिग्रहण के कारण मुकदमेबाजी के कारण चालू वित्त वर्ष में आगे कोई धनराशि जारी नहीं की जा सकी, इसलिए निधियों को संशोधित अनुमान चरण में घटाकर ₹ 18.00 करोड़ कर दिया गया है।

2.2 लोक उद्यम विभाग

वित्तीय परिव्यय तथा अनुमानित वास्तविक उत्पाद-नतीजे

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 (रु करोड़ में)			मापन योग्य उत्पाद/ वास्तविक उत्पाद	अनुमानित नतीजे	प्रक्रियाएं/समय सीमा	टिप्पणी/जोखिम पहलू
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना-गत	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
1	परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन स्कीम (सीआरआर)	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पृथक्कृत (वीआरएस/वीएसएस विकल्पधारियों) को अल्पावधि का प्रशिक्षण देना ताकि वे पुनर्नियोजित हो सकें।	--	3.20	--	के.स.लो.उ. के 2000 वीआरएस विकल्पधारियों को परामर्श एवं पुनर्प्रशिक्षण देना तथा परामर्श एवं पुनर्प्रशिक्षण के बाद लगभग 45% वीआरएस विकल्पधारियों का पुनर्नियोजन	परामर्श तथा पुनर्प्रशिक्षण के बाद के.स.लो.उ. के वी आर एस विकल्पधारियों को लाभ पहुचाना। इस स्कीम से लगभग 900 वीआरएस विकल्पधारियों को लाभान्वित होने की संभावना।	वर्ष 2015-16 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत कार्यों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित कर्मचारी सहायता केंद्रों (ईएसीज) के माध्यम से चयनित नोडल एजेंसियों द्वारा किया जाना है।	यह सामाजिक सुरक्षा नेट स्कीम है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 (रु करोड़ में)			मापन योग्य उत्पाद/ वास्तविक उत्पाद	अनुमानित नतीजे	प्रक्रियाएं/समय सीमा	टिप्पणी/जोखिम पहलू
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना-गत	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
2.	"के.स.लो.उ. के सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान विकास एवं परामर्श पर योजना स्कीम" (आरडीसी)	लोक उद्यमों से संबंधित विषयक मुद्दों पर अनुसंधान, अध्ययन करना और सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालओं का आयोजन तथा समझौता ज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से भी कार्य करना	–	3.78	--	(i) 5 कार्यशालाएं (ii) 2 अध्ययन (iii) 200 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।	के.स.लो.उ/राज्य स्तर लोक उद्यमों से संबंधित मुद्दों पर कार्यशालाएं आयोजित करना/अध्ययन करना जिनसे के.स.लो.उ./राज्य स्तर लोक उद्यमों को उनका कार्यनिष्पादन सुधारने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में वर्ष में केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।	सभी कार्य आरडीसी स्कीम के अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार संचालन समिति के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे। जांच समिति विशेषज्ञ/परामर्शदाता/ एजेंसी आदि के चयन के लिए जीएफआर में निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के आधार पर प्रत्येक प्रस्ताव की जांच करेगी। समझौता ज्ञापन पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित एवं मूल्यांकित किए जाएंगे।	आवश्यकता आधारित विकास कार्य समयबद्ध आधार पर किए जाने हैं।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 (रु करोड़ में)			मापन योग्य उत्पाद/ वास्तविक उत्पाद	अनुमानित नतीजे	प्रक्रियाएं/समय सीमा	टिप्पणी/जोखिम पहलू
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना-गत	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
3.	राज्य स्तर लोक उद्यमों में कार्यपालकों/ कर्मचारियों के कौशल विकास/ प्रशिक्षण की स्कीम	उनके कौशल की बढ़ाने तथा उद्यम में उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य स्तर लोक उद्यमों प्रबंधकों/ कार्यपालकों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण/ज्ञान देना।	–	1.62	--	प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थानों में 5 प्रशिक्षण कर्यक्रम चलाना	राज्य स्तर लोक उद्यमों को उद्यमों में उत्पादकता में सुधार लाने, सर्वोत्तम प्रबंध प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने, रणनीतिक सोच, परियोजना प्रबंध आदि में लाभान्वित करना।	राज्य स्तर लोक उद्यम के कार्यपालकों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिष्ठित प्रबंध संस्थानों से अनुरोध मंगाए जाते हैं। विभिन्न संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्यान्वयन समिति विचार करती है तथा एसडीपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2015-16 के लिए प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करती है। कार्यान्वयन समिति प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करती है।	यह स्कीम वर्ष 2012-13 में प्रचालित की गई थी। वर्ष 2015-16 में कार्यान्वयन समिति द्वारा अंतिम रूप से तय किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2015-16 (रु करोड़ में)			मापन योग्य उत्पाद/ वास्तविक उत्पाद	अनुमानित नतीजे	प्रक्रियाएं/समय सीमा	टिप्पणी/जोखिम पहलू
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना-गत	योजना	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.
4.	सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी)*	इस स्कीम का उद्देश्य बेहतर सेवाओं, सरकारी रिकार्डों के व्यवस्थित प्रबंधन तथा सरकारी कार्यों का समुचित ढंग से कार्यवाही करने के लिए विभाग का आधुनिकीकरण करना है।	–	0.40	--	* यह योजना स्कीम नहीं है। व्यय के इस मद को आई टी शीर्ष के अंतर्गत शामिल व्यय के व्यवस्थित आबंटन के लिए विभाग में सृजित किया गया था। इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल व्यय के मुख्य क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे को सुदृढ़ करना है जैसे- कंप्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा सहायक सामग्री, ई-गवर्नेंस,ई-ऑफिस का क्रियान्वयन आदि।			
	योग			**9.0**					

* * * * *

अध्याय-III

सुधार उपाय एवं नीतिगत पहल

3.0 विभाग का मुख्य उद्देश्य, अपने नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन में सुधार लाना तथा ऑटो और पूंजीगत माल क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उपाय करना रहा है। इस संदर्भ में किए गए कुछ उपायों की रूपरेखा अनुवर्ती पैराग्राफों में दी गई है।

3.1 कार्य-निष्पादन की मॉनिटरिंग

यह विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की नियमित रुप से मॉनिटरिंग करता है। अपनी भूमिका को कारगर ढंग से निभाने के लिए सूचना, संचार और परस्पर संपर्क के लिए निम्नलिखित प्रमुख प्रणालियां प्रचालनरत हैं :-

क. प्रबन्धन सूचना प्रणाली;

ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडलों में सरकार के मनोनीत व्यक्ति, जो विभाग के आंख-कान के रूप में कार्य करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यों पर निकट तथा निरन्तर निगरानी रखते हैं।

ग. विशिष्ट कार्यों को करने के लिए अंतरमंत्रालयी समूह, संयुक्त कार्य दल तथा कार्य बल; और

घ. सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग उद्यमों के शीर्षस्थ प्रबन्धकों के साथ समय-समय पर बैठकें की जाती हैं जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रगति, समस्याओं और संभावनाओं की विस्तृत समीक्षा की जाती है।

3.2 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

वर्ष 2014-15 के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों द्वारा भारत सरकार/धारक कंपनी के साथ 26 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौता ज्ञापन संबंधी दस्तावेजों में इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उद्यमों द्वारा किए जाने वाले कार्य-निष्पादन संबंधी उपायों के विभिन्न मानदंडों तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के संबंध में परिमापक लक्ष्य प्रकाशित किए गए हैं। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनियों के कार्य का मूल्यांकन करती है।

3.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/नवरत्न तथा मिनी नवरत्न उद्यमों को स्वायत्तता

क. बीएचईएल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का महारत्न उद्यम है। योग्य पेशेवरों की नियुक्ति कर कंपनी के बोर्ड को सुदृढ किया गया है। पूंजीगत व्यय, स्ट्रेटेजिक गठबंधन तथा एचआरडी नीतियां बनाने के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को और अधिक स्वायत्ता दी गई है।

ख. भारी उद्योग विभाग के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सात उद्यमों नामत: आरईआईएल, एचएनएल, ईपीआई, एचएमटी (आई), बीपीसीएल, बीएंडआर तथा एचपीसी को मिनीरत्न उद्यमों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

3.4 लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सुदृढ़ करके, आधुनिक बनाकर, उनका पुनरूद्धार तथा पुनर्संरचना करके मजबूत तथा प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र बनाने की दृष्टि से लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन किया गया है ताकि इन कार्यों को करने के साथ-साथ सरकार को स्ट्रेटेजिक उपायों के संबंध में सलाह दी जा सके।

3.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्गठन/पुनरूद्धार

वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुसार तथा लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई)द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण और हानि उठा रहे उद्यमों का पुनरूद्धार/पुनर्गठन किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान, भारी उद्योग विभाग के अधीन निम्नलिखित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अनुमोदित पुनर्गठन/पुनरूद्धार का कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(i) नेपा लिमिटेड

मंत्रिमंडल ने नेपा लिमिटेड के पुनरूद्धार के लिए प्रस्ताव को 06.09.2012 को अनुमोदित किया। तद्नुसार, कंपनी के पुनरूद्धार के लिए आदेश जारी किए गए हैं। बीआईएफआर ने 23.01.2014 को आयोजित अपनी बैठक में नेपा लिमिटेड की पुनर्वासन योजना को स्वीकृत कर दिया है, जो पुनर्वास योजना के अनुमोदन की तारीख से लागू हो गई है। नेपा लिमिटेड को उत्पादन से प्रथम वर्ष में होने वाली नकद हानि के प्रति ₹ 17.18 करोड़ जारी कर दिए गए हैं और ₹ 58.10 करोड़ नेपा लिमिटेड में पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना (आरएमडीपी) का कार्यान्वयन करने के लिए जारी कर दिए गए हैं।

(ii) नगालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लिमिटेड :

आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 04.06.2013 को आयोजित अपनी बैठक में एनपीसीसी के पुनरूद्धार के प्रस्ताव को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। पुनरूद्धार योजना का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है और मिल का प्रचालन मार्च, 2016 में शुरू होने की आशा है।

(iii) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड:

मंत्रिमंडल ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के पुनरुद्धार का प्रस्ताव 31.01.2013 को अनुमोदित कर दिया। तथापि, पुनरुद्धार पैकेज का कार्यान्वयन अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है क्योंकि यह मामला अभी भी बीआईएफआर के समक्ष है।

3.6 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद करना

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विकास का वाहक बनाने की दृष्टि से भारी उद्योग विभाग के अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है। इस समीक्षा में इन कंपनियों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों तथा वर्तमान स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अनुसरण में सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उद्यमों नामतः (i) एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड, (ii) एचएमटी (वाचिज) लिमिटेड, (iii) एचएमटी (चिनार वाचिज) लिमिटेड, (iv) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल), और (v) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल) के कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक पृथक्करण पैकेज पर सहमत होने का निर्णय

लिया गया है। कर्मचारियों के पृथक्करण का पालन करते हुए इन कंपनियों को बंद करने का प्रस्ताव है और चल परिसंपत्तियां या तो नीलाम की जाएंगी अथवा धारक/सहायक/एसोसिएट केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अथवा सरकार/सरकार द्वारा नियंत्रित निकायों को अंतरित की जाएंगी, अचल परिसंपत्तियां अर्थात् भूमि/भवन केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रत्येक मामले में केवल पट्टा/स्वामित्व की शर्तों पर निर्भर करते हुए, अंतरित की जाएगी।

3.7 राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास अवसरंचना परियोजना (नैट्रिप)

राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) को सरकार द्वारा 2005 में अनुमोदित किया गया, जिसमें ₹1,718 करोड़ के कुल निवेश के साथ भारत में विश्व स्तरीय मोटर वाहन परीक्षण और आधिकारिक रूप से प्रमाणन सुविधाएँ स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। 31 दिसम्बर, 2014 को परियोजना पूर्ण होने की तारीख के साथ इसकी लागत को संशोधित कर ₹2288.06 करोड़ कर दिया गया था। परियोजना को पूर्ण करने की तारीख को बढ़ाकर 31.12.2017 करने के लिए अनुमोदन हेतु एक मंत्रिमंडल नोट प्रस्तुत किया जा रहा है। परियोजना में निम्नलिखित सुविधाओं की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है:-

(क) हरियाणा राज्य के मानेसर में मोटर वाहन उद्योग के उत्तरी केन्द्र के भीतर संपूर्ण परीक्षण तथा आधिकारिक प्रमाणन की सुविधाओं वाले केन्द्र की व्यवस्था;

(ख) तमिलनाडु राज्य में चैन्नई के नजदीक ओरागडम में मोटर वाहन उद्योग के दक्षिणी केन्द्र में एक संपूर्ण परीक्षण तथा आधिकारिक प्रमाणन सुविधाओं वाले केन्द्र की व्यवस्था;

(ग) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ए.आर.ए.आई.), पुणे तथा व्हिकल रिसर्च तथा डेवलेपमेंट इसटेब्लिशमेंट (वी.आर.डी.ई.) महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर में मौजूदा परीक्षण तथा आधिकारिक प्रमाणन सुविधाओं का विस्तृत उन्नयन;

(घ) मध्य प्रदेश राज्य में इन्दौर के समीप पीथमपुर में लगभग 4000 एकड़ से अधिक भूमि पर विश्व स्तरीय प्रूविंग ग्राउंड की स्थापना;

(ड.) उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ से करीब 60 मील दूर स्थित रायबरेली में दुर्घटना आंकड़ा विश्लेषण तथा विशिष्ट ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय सुविधा के साथ देश के उत्तरी क्षेत्र में ट्रैक्टरों तथा ऑफरोड वाहनों के परीक्षण के लिए केन्द्र; और

(च) असम राज्य के सिल्चर में विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्र ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र तथा प्रयोगाधीन वाहन प्रबंधन केन्द्र।

इसके अलावा, नैट्रिप ऑटोमोटिव क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास के लिए उक्त केन्द्रों में नौ उत्कृष्टता केन्द्रों की भी स्थापना करेगा। नैट्रिप को अभी तक अनुदान के जरिए ₹ 1746.91 करोड़ की राशि जारी की गई है।

3.8 योजना: भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता की वृद्धि

भारी उद्योग विभाग कैपिटल गुड्स सेक्टर के 19 सब सेक्टरों का कार्य देखता है जिनमें मशीन टूल्स, टेक्सटाइल मशीनें, अर्थमूविंग एवं माइनिंग मशीनें, प्रोसेस प्लान्ट्स, बॉयलर और टरबाइन, ट्रांसफामर्स सहित भारी विद्युत उपकरण फील्ड प्रमुख हैं। ₹ 581.22 करोड़ की बजटीय सहायता से भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि करने की एक योजना को आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया था। तत्पश्चात् 5 नवंबर, 2014 को यह योनजा राजपत्र में अधिसूचित की गई है। जांच समिति की पहली बैठक 26 नवंबर, 2014 को हुई थी। इस योजना में अवसंरचनात्मक घटक जैसे कि प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना, साझा इंजीनियरिंग सुविधा केन्द्र, एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना केन्द्र तथा परीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र हैं। इस योजना में प्रौद्योगिकी अभिग्रहण निधि कार्यक्रम घटक के माध्यम से वित्तीय हस्तक्षेप की परिकल्पना भी की गई है। वर्ष 2015-16 के लिए इस योजना हेतु ₹ 25 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है। राजपत्र अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदनों पर जांच समिति द्वारा 26 नवंबर, 2014 को तथा तत्पश्चात् 11 दिसंबर, 2014 को शीर्ष समिति द्वारा विचार किया गया है। शीर्ष समिति के निर्णय दिनांक 22 जनवरी, 2015 को संबंधित

आवेदकों को सूचित कर दिए गए हैं। शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना के लिए निधियां आवश्यक निबंधनों एवं शर्तों को पूरा करने के पश्चात् जारी की जाएंगी।

3.9 महिला सशक्तीकरण

(i) भारी उद्योग विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध कोई भेदभाव न हो। सभी कर्मचारियों को महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के सिद्धांतों और उनके प्रति न्याय के सिद्धांतों के प्रति जागरूक किया जाता है ।

(ii) मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के अधिकारों के संबंध में कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए भारी उद्योग विभाग ने कामकाजी महिला कर्मचारियों को लिंग समानता और न्याय संबंधी अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन हेतु सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार, इस विभाग में महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति बनाई है ताकि महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निराकरण किया जा सके। यह विभाग महिला कर्मचारियों को सक्रिय रूप से सभी कार्यकलापों अर्थात बैठक, सेमीनार, प्रतियोगिता और प्रशिक्षण आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे उन्हें मुख्य धारा के कार्यबल से जोड़ने में मदद मिलती है।

3.10 कौशल विकास

(i) ऑटोमोटिव सेक्टर

भारी उद्योग विभाग ने मशीन टूल्स, हेवी इलेक्ट्रिकल, ऑटो इंडस्ट्री आदि जैसे क्षेत्रों के लिए पर्याप्त, प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए "कौशल विकास योजना तैयार करने" की पहल की है ताकि चालू वित्तीय वर्ष में और भविष्य में विकास की उपयुक्त सुव्यवस्थित एवं उच्च वृद्धि दर सुनिश्चित की जा सके। जहां तक ऑटो क्षेत्र का संबंध है, उद्योग में कौशल अंतर का पता लगाने का कार्य एएमपी 2006-16 की फ्रेमिंग के दौरान गठित किए गए विशेषज्ञ समूह के माध्यम से शुरू किया गया था, जिसके द्वारा उद्योग को वर्ष 2016 तक 25 मिलियन अतिरिक्त कार्यबल की आवश्यकता होने की आशा है। विभाग में विभिन्न अवसरों पर हुए विचार-विमर्शों के आधार पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सिआम) ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

(डीपीआर) तैयार की। सिआम, एसीएमए तथा एफएडीए द्वारा दिनांक 18.03.2011 को ऑटोमोटिव स्किल डवलपमेंट कोंसिल (एएसडीसी) का गठन किया गया है तथा ऑटोमोटिव क्षेत्र में कौशल अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार (भारी उद्योग विभाग, एनएसडीसी) द्वारा इसका समर्थन किया गया है। एएसडीसी भारत में सबसे पहली क्षेत्र विशिष्ट परिषद है। एएसडीसी ने प्रारंभिक प्रायोगिक परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है, इसमें ऑटो क्षेत्र से संबंधित तीन ट्रेड, पाठ्यक्रम मानक का विकास, वैधीकरण, जांच आदि करने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण देना सम्मिलित है। एएसडीसी ने पूरे देश में प्रशिक्षण केन्द्रों की बड़ी संख्या में सहायता करने के लिए 10-15 उत्कृष्टता अकादमी स्थापित करने की योजना बनाई है।

(ii) हैवी इंजीनियरिंग एंड मशीन टूल्स उद्योग

पूंजीगत माल क्षेत्र प्रत्यक्षतः 1.4 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है। अप्रत्यक्ष रोजगार 7 मिलियन है। तथापि, यह उद्योग महाविद्यालयों/डिप्लोमा/आईटीआई स्नातकों के कौशल तथा उनके द्वारा अपेक्षित कौशल में असमानता के बारे में अपनी क्षमता जता रहा है। भारी उद्योग विभाग केपिटल गुड्स स्किल काउंसिल की स्थापना करने में सहायक रहा है। इस संगठन के माध्यम से उद्योग की कौशल आवश्यकताओं को परिभाषित करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय कौशल मानक अधिसूचित किए जा रहे हैं। इस प्रकार, प्रशिक्षण संस्थान उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मूल्यवान कौशल प्रशिक्षण देने में समर्थ होंगे। काउंसिल का लक्ष्य 10 मिलियन लोगों को लाभ पहुंचाना रखा गया है। यह विभाग कौशल विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने की योजना भी बना रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में राष्ट्रीय कौशल मानकों का अद्यतीकरण, विषय विकास, सिस्टम और प्रोसेस परिभाषाओं, प्रशिक्षण संस्थानों में सुविधाओं की विशिष्टियों, सपोर्ट कैडर को प्रशिक्षण, मौजूदा कामगारों तथा नए भर्ती किए गए कामगारों को प्रशिक्षण और अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप शामिल हैं। 2016-17 के दौरान एक योजना को क्रियाशील करने का लक्ष्य रखा गया है।

3.11 भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का लक्ष्य वर्ष 2014-15 में 33,000 लोगों को प्रशिक्षित करना है।

3.12 नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड (एनएबी) की स्थापना

एनएबी की स्थापना, समितियाँ पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत समिति के रूप में की गई है। यह परिकल्पना की गई है कि एनएबी एक स्वायत्त तकनीकी संगठन होगा, जो ऑटोमोटिव सेक्टर से संबंधित सभी मामलों के लिए एक सिंगल मंच (प्लेटफार्म) उपलब्ध कराएगा। एनएबी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को ऑटोमोटिव उद्योग, विशेषकर सरकारी नीतियों, भारी उद्योग विभाग के अधीन ऑटोमोटिव परीक्षण एवं प्रमाणन प्रयोगशालाओं को प्रशासित करने वाले ऑटोमोटिव विनियमनों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर तकनीकी विशेषज्ञता तथा सलाह प्रदान करेगा। एनएबी, परीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी की गई परीक्षण रिपोर्टों, डब्ल्यूपी-29 क्रियाकलापों, भारत में विनियमन बनाने के क्रियाकलापों के आधार पर टाइप अनुमोदन तथा प्रमाणन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए भी एक नोडल एजेंसी होगी तथा यह सामूहिक अनुसंधान एवं विकास के लिए भी प्रयास करेगी। एनएबी का एक अध्यक्ष तथा तीन सदस्य होंगे। एक सदस्य पहले ही कार्य ग्रहण कर चुका है। अध्यक्ष तथा अन्य दो सदस्यों की नियुक्ति का कार्य अग्रिम अवस्था में है।

3.13 नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनएमईएम) 2020 और ऑटोमोटिव सेक्टर में नई योजना-इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परीक्षण अवसंरचना तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों (हाइब्रिड वाहनों सहित) के तेजी से अंगीकरण तथा भारत में इनके निर्माण के लिए 09.01.2013 को नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (एनएमईएम) 2020 का उद्घाटन किया था। एनईएमएमपी 2020, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से भारत में वर्ष 2020 तक एक महत्वपूर्ण स्तर तक इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मोबिलिटी को क्रमिक रूप से शामिल करने के लिए एक विजन डाक्यूमेंट है। एनईएमएमपी 2020 में सरकार द्वारा उद्योग की भागीदारी में किए गए गहन प्रारंभिक आंकड़ा आधारित अध्ययन के निष्कर्षों को शामिल किया गया है। यह सामने आया है कि 6-7 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों (हाइब्रिड वाहनों सहित) की बिक्री के परिणामस्वरूप, 2.2-2.5 मिलियन टन ईंधन की बचत हो सकती है जिससे राष्ट्र की भावी ऊर्जा का सुरक्षा में योगदान होगा और विनिर्माण क्षेत्रों को अत्यावश्यक प्रोत्साहन मिलेगा।

एनईएमएमपी 2020 ऑटोमोटिव मिशन प्लान (एएमपी) 2006-16 से ही निकला है और मांग सृजन, अनुसंधान और विकास, अवसंरचना विकास के उद्देश्य से विभिन्न विशिष्ट उपायों की सिफारिश करता है। सच तो यह है कि भविष्य में अनुमानित अत्यधिक जीवाश्म ईंधन बचतों से उम्मीद है कि इनसे सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर निवल सकारात्मक मुनाफा होगा।

एनईएमएमपी 2020 का उद्देश्य "विश्वसनीय, किफायती और कुशल एक्सईवीज (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों) को प्रोत्साहित किया जाए जो स्वदेशी विनिर्माण-क्षमताओं के संवर्धन और विकास, अपेक्षित आधारभूत ढांचे, उपभोक्ता जागरूकता और प्रौद्योगिकी के लिए सरकार-उद्योग के सहयोग के माध्यम से उपभोक्ताओं के निष्पादन और मूल्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करती हो; जिससे 6-7 मिलियन यूनिट कुल एक्सईवी बिक्री के साथ 2020 तक विश्व में एक्सईवी दुपहिया और चौपहिया वाहनों के बाजार में भारत को अग्रणी रूप में उभरने में मदद कर सके। इस प्रकार, वैश्विक एक्सईवी विनिर्माण नेतृत्व हासिल करने में और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करने में भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग समर्थ बन सकेगा। अनुमान है कि कम लागत वाली एक्सईवी, जो छोटी दूरी की सुरक्षित शहरी आवाजाही (लगभग 50-100 किमी/यात्रा) के लिए उपयुक्त हो और उमसभरी गर्म जलवायु वाली परिस्थितियों, जहां वर्ष में 3-4 महीने अत्यधिक मानसूनी वर्षा भी होती है, में विश्वसनीय रूप से चलने के लिए पर्याप्त मजबूत हों, के लिए भारत में बहुत अधिक मांग होगी।

मिशन प्लान के एक भाग के रूप में, भारी उद्योग विभाग ने ऑटोमोटिव सेक्टर ने एक स्कीम तैयार की है- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परीक्षण अवसंरचना तथा अनुसंधान और विकास परियोजनाएं / भारत (फेम इंडिया) में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का शीघ्र अंगीकरण और उनका विनिर्माण। फेम इंडिया अलग-अलग नीति उपायों का उपयोग करते हुए एक मिश्रित स्कीम है। ये नीतिगत उपाय निम्नवत हैं:-

i) हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिप्राप्ति को सुसाध्य बनाने हेतु मांग के लिए प्रोत्साहन।

ii) बैटरी प्रौद्योगिकी, पावर इलेक्ट्रोनिक्स, मोटर्स, सिस्टम इंटीग्रेशन, बैटरी मेनेजमेंट सिस्टम, परीक्षण अवसंरचना सहित प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा इसमें उद्योग की सहभागिता को सुनिश्चित करना।

iii) चार्जिंग अवसंरचना आदि को बढ़ावा देना।

iv) ऑन-रोड वाहनों की पूर्व-फिटमेन्ट में हाइब्रिड किट लगाने को प्रोत्साहित करना।

इस समग्र स्कीम को वर्ष 2020 तक, जब तक विनिर्धारित अवधि की समाप्ति पर आत्मनिर्भर होने के लिए एक्सईवी हेतु बाजार विकास और उसकी विनिर्माण का पारिस्थितिकी तंत्र को सहायता देना उद्देशित है, 6 वर्ष की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। स्कीम का चरण-1 01 अप्रैल, 2015 से शुरू होकर दो वर्ष की अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान कार्यान्वित किया जाना है। चरण-1 के लिए ₹ 795 करोड़ की निधि की आवश्यकता का अनुमान है।

3.14 "थर्मल पावर प्लांट्स के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल (उन्नत-यूएससी) प्रौद्योगिकी" हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में नई योजना:

बीएचईएल द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही "थर्मल पावर प्लांट्स के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल (उन्नत-यूएससी) प्रौद्योगिकी" हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजना के निष्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन इन्दिरा गांधी सेंटर फॉर एटोमिक रिसर्च तथा एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से एक नई योजना चालू वित्त वर्ष में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य थर्मल पावर प्लांट्स के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं में अनुसंधान एवं विकास शुरू करना है ताकि पावर प्लांट दक्षता में सुधार किया जा सके, कार्बन डाइ उत्सर्जन में कमी तथा कोल खपत में कटौती की जा सके और विकसित प्रौद्योगिकी आधार पर प्रदर्शन पावर प्लांट की स्थापना भी की जा सके। इन परियोजनाओं की अवधि अनुमोदन की तारीख से ढ़ाई वर्ष होने का अनुमान है। इसके बाद साढ़े चार वर्ष की अवधि में 800 मेगावाट के उन्नत अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल प्रदर्शन प्लांट की स्थापना की जाएगी।

* * * * *

अध्याय – IV

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/योजनाओं के पिछले निष्पादन की समीक्षा

2013-14 और 2014-15 (31.12.2014 तक)

4.1 भारी उद्योग विभाग

योजनाएं

2014-15 (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	बजट प्राक्कलन 2014-15	वास्तविक व्यय (योजना)	अनुमानित सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	वास्तविक उपलब्धि (परिणाम/सुपुर्दगियां/ आउटपुट)	विचलन के कारण
1.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव तथा आर.एंड डी अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) (स्वायत्त निकाय)	426.93	241.91	(i) जीएआरसी चेन्नई में ईएमसी लैब, फटीग लैब, आई एंड एफ लैब, सब-स्टेशन बिल्डिंग, इनफोट्रोन्क्स, फोटोमेट्री लैब में सिविल और उपयोगिता कार्यों को पूरा करना। (ii) जीएआरसी चेन्नई में फटीग लैब परीक्षण प्लेटफार्म, सीईआर लैब की स्थापना प्रारंभण और स्वीकार्यता। (iii) नेट्रेक्स-नेट्रेक्स, इंदौर में वीडीवाई लैब, एसटीपी तथा डब्ल्यूटीपी लैब, पॉवर ट्रेन लैब और टेस्ट ट्रैक इक्विपमेंट (वीडीवाई 4) को पूरा करना। (iv) 2012-13 तथा 2013-14 के अपूर्ण किए गए लक्ष्यों अर्थात् एमएसीडी, फोटोमेट्री लैब, पीडब्ल्यूडी, पीएसएल लैब को पूरा करना।	(i) क. सिविल कार्य अंतिम अवस्था में थे। ख. केन्द्रों पर उपकरण स्थापित किए गए थे। ग. कुछ लैब (एमएसीडी) और फोटोमेट्री लैब, पॉवरट्रेन-शैड लैब परीक्षण के लिए तैयार हो गए। (ii) जीएआरसी चेन्नई में फटीग लैब परीक्षण प्लेटफार्म, सीईआर लैब की स्थापना प्रारंभण और स्वीकार्यता (iii) नेट्रेक्स, इंदौर में व्हीकल डायनेमिक लैब (वीडीवाई), पॉवर ट्रेन लैब को पूरा करना। (iv) आईसीएटी, मानेसर में अंतिम अवस्था में सीईआरटी लैब की स्थापना, प्रारंभण और स्वीकार्यता।	प्रौद्योगिकीय और ठेकागत मुददे।

2013-14 (₹ करोड़ में)

क्र. स.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	बजट प्राक्कलन 2013-14	वास्तविक व्यय (योजना)	अनुमानित सुपुर्दगियां/ वास्तविक आउटपुट	वास्तविक उपलब्धि (परिणाम/सुपुर्दगियां/आउटपुट)	विचलन के कारण
1.	राष्ट्रीय ऑटोमोटिव तथा आर.एंड डी अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) (स्वायत्त निकाय)	341.94	-	इस परियोजना में शामिल हैं- ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (ए.आर.ए.आई.), पूणे और विहिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैबलिशमेंट (वी.आर.डी.ई.) में वर्तमान सुविधाओं का उन्नयन तथा देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो नई जाँच सुविधाएं और मुख्य कम्पोनेंट के रूप में टेस्टिंग ट्रेक स्थापित करना । निम्नलिखित कार्य-कलाप किए जाने हैं: **i)** विविध स्थलों पर सिविल कार्य **ii)** विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए क्रयादेश/ उपकरणों की प्राप्ति **iii)** विस्तृत परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्ट के अनुसार कार्यान्वयन निष्पादन (डीपीआईआर) **iv)** जीएआरसी (चेन्नई), आईसीएटी (मानेसर) में पिछले वर्षों में लक्षित कार्य के बकाया कार्य सहित एआरएआई/आईसीएटी, जीएआरसी की स्थापना और सिविल कार्यों को पूरा करना।	(i) विस्तृत परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्ट के अनुसार कार्यान्वयन निष्पादन (डीपीआईआर) (ii) आईकैट केन्द्र– एमएसीडी लैब, पीडब्ल्यूटी4- शेड सुविधा, पीएएस लैब कमीशन की जा चुकी है और फैटीग तथा प्रमाणन लैब, कलाइंट कार्यशाला और सामान्य स्टोरेज भवन के लिए सिविल कार्य पूरा हो चुका है। (iii) एनसीवीआरएस रायबरेली केन्द्र - ₹ 38.74 करोड़ का भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान किया गया। (iv) नेट्रैक्स इंदौर केन्द्र– व्हीकल डायनेमिक्स लैब चालू की जा चुकी है।.	प्रौद्योगिकीय और ठेकागत मुद्दे।
2.	नई योजना: भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि	70.00	-	हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हेवी मशीन टूल्स उद्योग सहित केपिटल गुड्स उद्योग का विकास।	इस योजना को 2011 से अंतिम रूप दिया जा रहा है और उद्योग, अकादमी आदि से व्यापक परामर्श के परिणामस्वरूप ईएफसी ने 26.02.2014 को ₹ 581.22 करोड़ के लिए प्रस्ताव की अनुशंसा की।	इस योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि वर्ष 2013-14 के दौरान आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	बजट प्राक्कलन 2014-15 (योजना)	वास्तविक व्यय (योजना)	2014-15		
				लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
2.	नई योजना: भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि	25.00	-	इस योजना को अंतिम रूप देना और इसे शुरू करना है।	मंत्रिमंडल समिति द्वारा 15.09.2014 को अपनी बैठक में इस योजना को अनुमोदित किया गया था। तत्पश्चात् 05.11.2014 को इसे राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। जांच समिति की पहली बैठक 26.11.2014 को हुई थी और शीर्ष समिति की पहली बैठक 11.12.2014 को हुई थी। शीर्ष समिति के निर्णय संबंधित आवेदकों को 22.01.2014 को सूचित कर दिए गए हैं। शीर्ष समिति द्वारा परियोजना को अनुमोदित कर दिए जाने पर, निबंधनों एवं शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् निधियां जारी की जाएंगी।	योजना शुरू की जा चुकी है।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)

1. एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14			2014-15		
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि (जनवरी, 15 तक)	विचलन के कारण
1	2	3(i)	3(ii)	3(iii)	4(i)	4(ii)	4(iii)
1.	**वित्तीय मानदंड**						
(क)	उत्पादन	320.00	329.77		350.00	299.41	एवाईसीएल को 2014-15 में ₹ 350.00 करोड़ का उत्पादन, ₹ 37.00 करोड़ का सकल लाभ तथा ₹ 19.00 करोड़ का कर पूर्व लाभ प्राप्त करने की आशा है।
(ख)	बिक्री	320.00	324.38		350.00	284.76	
(ग)	पीबीडीआईटी(सकल लाभ)	30.70	41.49		37.00	26.25	
(घ)	कर पूर्व निवल लाभ	11.50	25.43		19.00	10.68	
(2)	**योजना**						
(क)	प.बंगाल चाय बागान के लिए पौदरोपण और विनिर्माण तथा सहायता सुविधाओं में वृद्धि	2.00	2.00		2.00	2.00	
(ख)	पूर्वोत्तर में असम चाय बागान के लिए पौदरोपण और विनिर्माण तथा सहायता सुविधाओं में वृद्धि	6.00	4.36	अल्पकालिक बंद	5.00	5.00	
(ग)	इलेक्ट्रिकल डिविजन में उत्पाद विकास और संबद्ध सुविधाएं	2.00	1.09	अल्पकालिक बंद	3.00	3.00	
(घ)	इंजीनियरिंग में सुविधाओं का उन्नयन	1.00	0.50	अल्पकालिक बंद	2.00	2.00	
(ङ)	नई योजना:	0.00	0.00		12.00	0.00	
	योग [चल रही योजना + नई योजना]	11.00	7.95		24.00	12.00	

2. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14			2014-15		
		लक्ष्य सं.अ	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
1	2	3(i)	3(ii)	3(iii)	4(i)	4(ii)	4(iii)
1	प्रचालन से आय (निवल)	43000	40338	लक्ष्य के अनुसार नए ऑर्डरों के प्राप्त न होने और बाजार में मंदी के कारण वर्तमान ऑर्डरों पर रोक के कारण परिचालन प्रभावित हुआ।	45600	32000	लक्ष्य निर्धारण के समय लगाए गए अनुमान के अनुसार मौजूदा आदेशों पर रोक समाप्त न करना तथा बाजार में मंदी के कारण निष्पादन योग्य कम आदेश प्राप्त होने से प्रचालन प्रभावित हुए।
2	सकल लाभ	6849	6130	लेखांकन मानकों/ कंपनी नीति के अनुसार प्रावधान में वृद्धि के अतिरिक्त प्रचालन का निम्न स्तर जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है और लक्ष्य की तुलना में मालसूची (एफजी/ डब्ल्यूआईपी) में कमी।	6134	3230	जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है प्रचालन के निम्न स्तर के कारण मूल्यवर्धन कम हुआ है। सामग्री तथा अन्य लागतों में बचत के बावजूद सकल लाभ में 47% की कमी आई है।
3	कर पूर्व निवल लाभ	5579	5014		4825	2021	
4	कर पश्चात् लाभ	3935	3461		3305	1435	

3. ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंपनी लिमिटेड (बीबीजे)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14			2014-15 (दिसंबर, 2014 तक)		
		एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
	2	3(i)	3(ii)	3(iii)	4(i)	4(ii)	4(iii)
1	सकल उत्पादन	24.00	260.66	एमओयू लक्ष्यों को पार करना	207.50	193.10	आर्डर प्राप्त करने में कमी
2	प्रचालन से राजस्व (निवल बिक्री)	240.22	265.96		207.50	169.10	
3	निवल लाभ(कर पूर्व)	8089	68.42		15.53	35.41	एमओयू लक्ष्यों को पार करना

4. भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14			2014-15 (दिसंबर, 2014 तक)		
		एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
	2	3(i)	3(ii)	3(iii)	4(i)	4(ii)	4(iii)
1	सकल उत्पादन	20.00	10.10	आर्डर प्राप्त करने में कमी	7.98	2.64	आर्डर प्राप्त करने में कमी
2	प्रचालन से राजस्व (निवल बिक्री)	20.00	10.80		7.98	2.64	
3	निवल लाभ(कर पूर्व)	0.02	4.52	बीबीजे से प्राप्त ₹ 4.05 करोड़ के लाभांश सहित	(0.14)	3.97	बीबीजे से प्राप्त ₹ 4.05 करोड़ के लाभांश सहित
4	निवल लाभ(कर पश्चात्)	0.02	4.36		(0.14)	3.97	

5. भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14			2014-15 अनंतिम		
	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
2	3(i)	3(ii)	3(iii)	4(i)	4(ii)	4(iii)
प्रचालन से आय	235.00	147.06	i) कम ऑर्डर मिलना। ii) मुख्य कास्टिंग/फोर्जिंग मिलने में विलंब iii) अत्यधिक वित्तीय अभाव/ भुगतान संकट	210.00	84.10	i) नई परियोजनाओं में विलंब। आर्डर बुकिंग में कमी आना। ii) प्रमुख कास्टिंग/फोर्जिंग्स की प्राप्ति में विलंब। iii) औद्योगिक गैस सिलिंडरों की मांग में कमी। iv) अत्यधिक वित्तीय अभाव/भुगतान संकट। इनपुट सामग्री तथा अन्य संसाधन समय पर जुटाने में असमर्थ होने से वांछित उत्पादन प्राप्त नहीं किया जा सका।
सकल लाभ	28.50	-5.84	-	14.50	-30.41	
कर पूर्व निवल लाभ	13.13	-15.68	-	4.50	-40.02	-
कर पश्चात् लाभ	8.66	-5.24	-	2.97	-40.02	-

6. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता (बी एंड आर)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14			2014-15(दिसंबर, 2014 तक)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
1	2	3(i)	3(ii)	3(iii)	4(i)	4(ii)	4(iii)
1	प्रचालन से आय (निवल)	1600.00	1380.37	आर्थिक मंदी और बाजार में बड़ी और छोटी, दोनों प्रकार की कंपनियों के बड़ी मात्रा में आ जाने के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ी है जिससे मार्जिन कम हो गया है।	1055.00	919.58	आर्थिक मंदी और बाजार में बड़ी और छोटी, दोनों प्रकार की कंपनियों के बड़ी मात्रा में आ जाने के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ी है जिससे मार्जिन कम हो गया है।
2	सकल लाभ	132.00	50.44		55.60	28.69	
3	कर पूर्व निवल लाभ	80.00	16.96		27.45	7.69	
4	कर पश्चात् लाभ	54.00	10.61		18.12	5.08	

7. सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14			2014-15		
		लक्ष्य सं.अ.	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य BE	उपलब्धि सं.अ. अनंतिम	विचलन के कारण
1	2	3(i)	3(ii)	3(iii)	4(i)	4(ii)	4(iii)
1	प्रचालन से आय (निवल)	379.87	363.03	कम मांग के कारण बिक्री लक्ष्य कम हैं किन्तु स्वीकृत योजना के अनुसार ब्याज देयता को समाप्त किये जाने के कारण सकल लाभ और निवल लाभ अनुमान से अधिक है।	414.60	417.74	चालू वर्ष में हम अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
2	अतिरिक्त आय सहित सकल लाभ	22.31	28.11		24.03	20.98	
3	कर पूर्व निवल लाभ	8.93	16.20		9.71	8.24	
4	कर पश्चात् लाभ	8.93	16.20		9.71	8.24	

8. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआई)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14			2014-15		
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य (दिसंबर, 2014 तक)	उपलब्धि (दिसंबर, 2014 तक)	विचलन के कारण
1	2	3(i)	3(ii)	3(iii)	4(i)	4(ii)	4(iii)
1	प्रचालन से आय (निवल)	1,125.00	855.16	विविध स्थलों पर वर्क फ्रंट की अनुपलब्धता और कुछ ग्राहकों से निधियां उपलब्ध न होने के कारण लक्ष्य से कम कारोबार।	700.00	702.15	
2	सकल लाभ	40.00	36.50	यह कमी, प्रचालनों से आय में अनुरूपी कमी के कारण है।	16.10	24.05	
3	कर पूर्व निवल लाभ	35.13	26.11	---वही---	9.92	17.20	
4	कर पश्चात् लाभ	23.84	16.99	---वही---	6.72	11.67	

-

9. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी)

वर्ष 2013-14 में उत्पादन निष्पादन तथा वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

कंपनी/सहायक कंपनी	लेखा परीक्षित निष्पादन 2013-14						विचलन के कारण
	उत्पादन		बिक्री (ईडी के बगैर)		कर पूर्व लाभ #		
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
एचएमटी लिमिटेड – धारक कंपनी (ट्रैक्टर सहित)	213.20	74.11	220.44	78.45	-107.34	105.82	पुनरुद्धार योजना की स्वीकृति में विलंब, कार्यशील पूंजी संबंधी बाधाएं, आपूर्ति श्रृंखला में विलंब, वितरण नेटवर्क विफल होना।
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड.	246.75	155.56	250.00	159.02	-28.16	-52.66	कार्यशील पूंजी बाधाएं, आपूर्ति श्रृंखला में विलंब, जनशक्ति की कमी
एचएमटी वाचिज लिमिटेड.	20.00	4.70	18.25	7.49	-274.87	-233.08	अपर्याप्त वितरण चैनल, कार्यशील पूंजी संबंधी बाधाएं, बिक्री के प्रचार में कमी
एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड.	0	0	0.80	0.39	-44.17	-50.56	कोई उत्पादन गतिविधि नहीं
एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड	13.80	15.04	12.46	14.36	-13.18	-15.98	कार्यशील पूंजी संबंधी बाधाएं
एचएमटी (इंटरनेशनल)लिमिटेड.	-	-	45.00	25.08	6.56	0.50	एमईए परियोजना ऑर्डरों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब, आपूर्ति में विलंब
योग	**493.75**	**249.41**	**546.95**	**284.99**	**-461.16**	**-256.86**	

वर्ष 2014-15 के लिए उत्पादन
निष्पादन और वित्तीय परिणाम

कंपनी/सहायक कंपनी	निष्पादन 2014-15-दिसंबर, 2014 तक						विचलन के कारण
	उत्पादन		बिक्री (ईडी के बगैर)		कर पूर्व लाभ #		
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	
एचएमटी लिमिटेड – धारक कंपनी (ट्रैक्टर सहित)	249.25	42.79	265.25	44.84	-49.35	-69.42	पुनरुद्धार योजना के लिए निधियों की स्वीकृति में विलंब, कार्यशील पूंजी संबंधी बाधाएं, आपूर्ति श्रृंखला में विलंब।
एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड.	206.75	109.39	225.00	116.50	-55.36	-96.63	कार्यशील पूंजी बाधाएं।
एचएमटी वाचिज लिमिटेड.	12.00	2.27	15.00	5.93	-292.10	-200.34	अपर्याप्त वितरण चैनल, कार्यशील पूंजी संबंधी बाधाएं, बिक्री के प्रचार में कमी
एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड.	0	0	0.80	0.85	-47.13	-34.46	कोई उत्पादन गतिविधि नहीं
एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड	15.15	10.00	14.50	10.97	-14.69	-11.87	शून्य
एचएमटी (इंटरनेशनल)लिमिटेड.	-	-	42.00	15.25	4.56	0.32	उत्पाद उपलब्धता, प्रेषणों में विलंब, कम आर्डर
योग	**483.15**	**164.45**	**562.55**	**194.34**	**-454.07**	**-412.40**	

#ईओआई के साथ

10. हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14			2014-15			
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	वार्षिक लक्ष्य	अप्रैल-14 से दिसंबर-14 तक की अवधि के लिए		
						लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
1	**2**	**3(i)**	**3(ii)**	**3(iii)**		**4(i)**	**4(ii)**	**4(iii)**
1(क)	निवल कारोबार	930.03	384.02	पुराने पड़ जाने के कारण उपकरणों/सुविधाओं की बहुत कम उपलब्धता और उत्पादकता तथा उन्नयन कार्यक्रम में विलंब, कार्यशील पूंजी की कमी।	850.00	614.60	272.44	पुराने पड़ जाने के कारण उपकरणों/सुविधाओं की बहुत कम उपलब्धता और कार्यशील पूंजी की अत्यधिक कमी।
1(ख)	सकल बिक्री	1001.00	411.67		907.36	654.28	291.92	
2	सकल लाभ	66.00	-133.29	बिक्री/उत्पादन में कमी और नियत लागत वही है।	44.97	18.56	-113.88	बिक्री/उत्पादन में कमी और नियत लागत वही है।
3	कर पूर्व लाभ	40.71	398.33	कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 550.08 करोड़ की राहत/सहायता कार्यान्वयन से निवल लाभ दर्ज किया। राहतों पर पूंजी अभिलाभ कर ₹ 99.02 करोड़ है।	24.62	3.51	-134.57	ब्याज में वृद्धि के साथ-साथ नकारात्मक सकल लाभ।
4	कर पश्चात् लाभ	40.71	299.31		24.62	3.51	-134.57	

11. **हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14			2014-15		
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि अनंतिम	विचलन के कारण
1	**2**	**3(i)**	**3(ii)**	**3(iii)**	**4(i)**	**4(ii)**	**4(iii)**
	एचएनएल	0.01	2.95	---	88.82	1.24	---

12. **हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल)**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14			2014-15		
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसंबर, 2014 तक)	विचलन के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रचालन से आय(निवल)	13.02	7.33	कम उत्पादन, तकनीकी और पेशेवर रूप से दक्ष स्टाफ की कमी और निधि की अनुपलब्धता के कारण	15.42	3.86	कम उत्पादन, तकनीकी और पेशेवर रूप से दक्ष स्टाफ की कमी और निधि की अनुपलब्धता के कारण
2.	सकल लाभ	3.47	3.34		3.80	2.52	
3.	कर पूर्व निवल लाभ	0.50	0.11		0.45	0.18	
4.	कर पश्चात् निवल लाभ	0.50	0.11		0.45	0.18	

13. **इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड,कोटा (आईएलके)**

(₹ करोड़ में)

	2013-14					2014-15		
क्र.स.	विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	एमओयू लक्ष्य	उपलब्धि (31.01.2015 तक)	31.03.2015 के लिए अनुमानित	विचलन के कारण
1	2	3(i)	3(ii)	3(iii)	4(i)	4(ii)		4(iii)
1	प्रचालन से आय(निवल)	185.00	158.35	कार्यशील पूंजी की अत्यधिक कमी	345.00	113.23	185.00	वर्ष मे कारोबार को अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, कारोबार में कमी की मुख्य बाधा कार्यशील पूंजी है।
2	सकल लाभ	(28.50)	(35.78)		26.90	(28.34)	(31.05)	
3	कर पूर्व निवल लाभ	(51.45)	(68.61)		(3.48)	(56.96)	(65.41)	
4	कर पश्चात् लाभ	(51.45)	(68.61)		(3.48)	(56.96)	(65.41)	

14. नेपा लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14			2014-15		
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
1	2	3 (i)	3 (ii)	3 (iii)	4 (i)	4 (ii)	4 (iii)
1.	400 कर्मचारियों को वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए 7% गैर संचयी तरजीही शेयर	-	-	-	-	-	-
2.	पूंजीगत व्यय के अंशत: वित्तपोषण को पूरा करने के लिए नई इक्विटी	54	1.58	(i) आरएमडी के आंशिक कार्यान्वयन के लिए सरकार से 27.03.2014 के पत्र के माध्यम से इक्विटी के रूप में ₹8.10 करोड़ की निधि प्राप्त हुई। (ii) 31.03.2014 तक केवल ₹1.58 करोड़ का उपयोग किया गया क्योंकि नेपा के खाते में ₹8.10 करोड़ 28.03.2014 को प्राप्त हुए। (iii) प्रथम वर्ष के उत्पादन से नकद हानि के लिए सरकार से ₹17.18 करोड़ का योजनेतर ऋण प्राप्त हुआ।	103	8.52	(i) आरएमडी के आंशिक कार्यान्वयन के लिए सरकार से 26.12.2014 के पत्र के माध्यम से इक्विटी के रूप में ₹ 50.00 करोड़ की निधि प्राप्त हुई। (ii) 12.07.2014 तक केवल ₹ 8.52 करोड़ का उपयोग किया गया, शेष राशि का उपयोग इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। (iii) डीआईपी की अधिप्राप्ति हेतु ₹ 35.50 करोड़ की एलसी 11.02.2015 को खोली गई। यह राशि बैंक ऑफ इंडिया के पास है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14			2014-15		
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
1	2	3 (i)	3 (ii)	3 (iii)	4 (i)	4 (ii)	4 (iii)
3.	आरएमडीपी के कार्यान्वयन के दौरान नकद हानि	17.18	17.18	प्रथम वर्ष के उत्पादन से नकद हानि के लिए सरकार से दिनांक 07.03.2014 के पत्र के माध्यम से ₹ 17.18 करोड़ का योजनेतर ऋण प्राप्त हुआ।	-	-	-
4.	पूंजीगत व्यय के अंशत: वित्तपोषण को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण	44	-	(i) भारत सरकार से ₹ 54 करोड़ की प्रथम किस्त किए जाने की शर्त के साथ एसबीआई तथा बीओआई से सिद्धान्ततः सहमति पत्र 17.12.2012 को प्राप्त हुए। (ii) अतः कंपनी ने वित्तीय संस्थानों से कोई धनराशि नहीं ली।	128	-	नेपा, अपेक्षित धनराशि प्राप्त करने के लिए एसबीआई तथा बीओआई से बातचीत कर रहा है।

15. रिचर्डसन एंड क्रूडास लिमिटेड (आर एंड सी)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14			2014-15 (अनंतिम)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
1	2	3(i)	3(ii)	3(iii)	4(i)	4(ii)	4(iii)
	प्रचालन से आय (निवल)	75	83.60	1. मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने हमारी मूलन्द इकाई में दिनांक 01.04.2013 से भूमि के अपने कुछ हिस्से को खाली कर दिया है तथा शेष भूमि 01.03.2015 को छोड़ रहा है। 2. मूलन्द में शॉप2 की बे1 और 2 का उपयोग भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, माहूल रिफाइनरी चेम्बूर, मुंबई द्वारा 01.03.2014 से 28.02.2015 तक किया गया। बीपीसीएल ने 01.03.2015 से खाली कर दिया है। 3. अर्थव्यवस्था और इंजीनियरिंग सेक्टर में मंदी के कारण एल एंड टी, मूलन्द तथा बीएचईएल, चेन्नई और नागपुर से ऑर्डरों में काफी कमी आई है।	80.00	67.43	1. मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने हमारी मूलन्द इकाई में दिनांक 01.04.2013 से भूमि के अपने कुछ हिस्से को खाली कर दिया है तथा शेष भूमि 01.03.2015 को छोड़ रहा है। 2. मूलन्द में शॉप2 की बे1 और 2 का उपयोग भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, माहूल रिफाइनरी चेम्बूर, मुंबई द्वारा 01.03.2014 से 28.02.2015 तक किया गया। बीपीसीएल ने 01.03.2015 से खाली कर दिया है। 3. अर्थव्यवस्था और इंजीनियरिंग सेक्टर में मंदी के कारण एल एंड टी, मूलन्द तथा बीएचईएल, चेन्नई और नागपुर से ऑर्डरों में काफी कमी आई है।
2	सकल लाभ	12.37	19.60		10.50	27.36	
3	कर पूर्व निवल लाभ	(20.33)	(3.83)		(21)	0.16	
4	कर पश्चात् लाभ	(20.33)	(3.83)		(21)	0.16	

16. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, जयपुर (आरईआईएल)

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	2013-14			2014-15(प्रत्याशित)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
1	2	3(i)	3(ii)	3(iii)	4(i)	4(ii)	4(iii)
1	प्रचालन से आय (निवल)	225.00	231.35	अधिक कारोबार प्राप्त किया।	190.00	190.00	-
2	सकल लाभ	18.00	22.46	अधिक कारोबार तथा कम कच्ची सामग्री व अन्य लागत।	10.00	9.50	कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि
3	कर पूर्व निवल लाभ	13.12	19.88	उपर्युक्तानुसार	5.87	6.40	कम ब्याज लागत
4	कर पश्चात् लाभ	8.70	13.58	उपर्युक्तानुसार	3.87	4.22	उपर्युक्तानुसार

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2013-14			2014-15(प्रत्याशित)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
1	2	3(i)	3(ii)	3(iii)	4(i)	4(ii)	4(iii)
1	इलेक्ट्रानिक्स और आईटी व्यवसाय अवसंरचना का आधुनिकीकरण	3.00	0.33	मानसरोवर, जयपुर में भवन का निर्माण करने में विलंब।	5.00	0.31	मानसरोवर, जयपुर में भवन का निर्माण करने में विलंब।

16. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, जयपुर (आरईआईएल)

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	2013-14			2014-15(प्रत्याशित)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
1	2	3(i)	3(ii)	3(iii)	4(i)	4(ii)	4(iii)
1	प्रचालन से आय (निवल)	225.00	231.35	अधिक कारोबार प्राप्त किया।	190.00	190.00	-
2	सकल लाभ	18.00	22.46	अधिक कारोबार तथा कम कच्ची सामग्री व अन्य लागत।	10.00	9.50	कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि
3	कर पूर्व निवल लाभ	13.12	19.88	उपर्युक्तानुसार	5.87	6.40	कम ब्याज लागत
4	कर पश्चात् लाभ	8.70	13.58	उपर्युक्तानुसार	3.87	4.22	उपर्युक्तानुसार
5	इलेक्ट्रानिक्स और आईटी व्यवसाय अवसंरचना का आधुनिकीकरण	3.00	0.33	मानसरोवर, जयपुर में भवन का निर्माण करने में विलंब।	5.00	0.31	मानसरोवर, जयपुर में भवन का निर्माण करने में विलंब।

4.2 लोक उद्यम

विभाग विगत कार्य-निष्पादन 2013-14 की समीक्षा

क्रम सं.	स्कीम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14	मापन योग्य	अनुमानित नतीजे	भिन्नता के कारण
1.	परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्नियोजन स्कीम (सीआरआर)	परामर्श एवं अल्पकालिक प्रशिक्षण द्वारा केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पृथक्कृत कर्मचारियों का पुनर्नियोजन	4.73	परामर्श तथा प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सरकार लोक उद्यमों के 3000 वी आर एस विकल्पधारियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया	3340 वी आर एस विकल्पधारियेां को शामिल किया गया	प्रश्न नहीं उठता
2.	"के.स.लो.उ. के सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान विकास एवं परामर्श पर योजना स्कीम" (आरडीसी)	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के सामान्य मुद्दों पर अनुसंधान, अध्ययन, सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित करना तथा राज्यीस्तर लोक उद्यमों पर वार्षिक सर्वेक्षण प्रकाशित करना	0.68	(i) केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के व्यवसायीकरण के लिए केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के साथ वार्ता बैठकें (ii) क्षमता निर्माण पर कार्यशालाएं (iii) केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों के पदस्थ उच्च प्रबंधन के ए पी ए आर के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु अध्ययन (iv) सी एस आर तथा सस्टेनेबिलिटी पर 4 कार्यशालाएं आयोजित करना (v) वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए राज्य स्तर लोक उद्यमों के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण का प्रकाशन	(i) वार्ता बैठक दिल्ली में आयोजित की गई (ii) ऐसी 4 कार्यशालाएं, 2 दिल्ली में तथा बंगलूरू और 1 मुंबई में आयोजित की गई। (iii) केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों तथा इन-हाउस व्यवस्था से समीक्षा प्रक्रिया पूरी की गई। (iv) कोलकाता, बंगलूरू, हैदराबाद तथा टिहरी में 4 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। (v) राज्य स्तर लोक उद्यम सर्वेक्षण 2008-09 तथा 2009-10 को प्रकाशित किया गया तथा इसे अक्टूबर, 2013 को जारी किया गया।	प्रश्न नहीं उठता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14	मापन योग्य	अनुमानित नतीजे	भिन्नता के कारण
3.	राज्य स्तर लोक उद्यमों के कार्यपालकों/ कर्मचारियों के लिए कौशल विकास/ प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए स्कीम	राज्य स्तर लोक उद्यमों के प्रबंधनकों/ कार्यपालकों/कर्मचारियेां प्रशिक्षण/ज्ञान देना ताकि उद्यम की समग्र उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उनके कौशल को बढ़ाया जा सके।	0.46	4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य था	राज्य स्तर लोक उद्यमों के वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए रणनीतिक सोच एवं नेतृत्व तथा कार्यकरण उत्कृष्ठता के लिए परियोजना प्रबंधन पर 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई आई एम) कोलकाता तथा लखनऊ और परियोजना प्रबंध संस्थान, दिल्ली में आयोजित किए गए।	प्रश्न नहीं उठता

विगत कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण – 2014-15 (31.01.2015 के अनुसार)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य के परिणाम	वास्तविक व्यय 2014-15 (31.01.2015 के अनुसार)	मापने योग्य उत्पाद	वास्तविक उपलब्धियां	अंतर का कारण
1	काउंसिलिंग, पुनर्प्रशिक्षण और पुनरोजगार : (आरआरसी) मस्की	परामर्श और अल्पावधि प्रशिक्षण के द्वारा सीपीएसईज के पृथक हुए कर्मचारियों का पुनर्नियोजन	2.31	परामर्श और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों केीआरएस 2500 विकल्पधारियों को शामिल करने का लक्ष्य	2480 वीआरएस विकल्पधारी शामिल किए गए	2500 का दिया गया लक्ष्य 31.3.2015 तक पूरा हो जाएगा।
2	अनुसंधान, विकास और परामर्श की स्कीम (आरडीसी)	सीपीएसई के सामान्य मामलों पर अनुसंधान, अध्ययन, सेमिनार कार्यशालाएं आदि करना और एसएलपीज पर वार्षिक सर्वेक्षण प्रकाशित करना	0.37	• समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और उसे मूल्यांकित किया गया।	वर्ष 2013-14 के लिए 189 समझौता ज्ञापन मूल्यांकित किए गए। समझौता ज्ञापन 2015-16 के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हेतु कार्य-बल बैठकें की जा रही हैं और अब तक 41 बैठकें की जा चुकी हैं।	
				• राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन और प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला	• चयनित एजेंसी द्वारा 26 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में से 20 ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।	
				• कार्य-बल को 26 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के लिए इनपुट्स प्रदान करना।	• इस्पात सैन्टर के चुनिंदा केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की बैंचमार्किंग पर परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट।	
				• परामर्शदाता के जरिए चुनिंदा इस्पात फैक्टर के केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को बैंचमार्किंग अध्ययन करना।	• परामर्श-दाता के जरिए अपस्ट्रीम तेल क्षेत्र की केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बैंचमार्किंग की अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत।	
				• परामर्शदाता के जरिए अपस्ट्रीम तेल क्षेत्र की केन्द्रीय सरकारी लोक	• आइएसओ प्रमाणपत्र नवम्बर, 2014 में प्राप्त हुआ।	

क्र. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य के परिणाम	वास्तविक व्यय 2014-15 (31.01.2015 के अनुसार)	मापने योग्य उत्पाद	वास्तविक उपलब्धियां	अंतर का कारण
				उद्यमों का बैंचमार्किंग अध्ययन करना। • समझौता ज्ञापन प्रभाग का आइ एस ओ प्रमाणन • लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों - को कंपनी अधिनियम के समनुरुप बनाने पर कार्यशाला। • गैर सरकारी तथा सरकारी निदेशकों की क्षमता निर्माण के लिए कार्यशाला। • राज्य-स्तर लोक उद्यमों पर कार्यशालाएं। • लोक उद्यम सर्वेक्षण 2013-14 का प्रकाशन।	• लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों को कंपनी अधिनियम के समनुरुप बनाने पर कार्यशाला दिनांक 9.5.2014 को आयोजित की गई। • गैर सरकारी तथा सरकारी निदेशकों की क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं दिनांक 24.9.2014 आयोजित की गईं। • राज्य-स्तर लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन पर सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आदान प्रदान पर दिनांक 1.9.2014 तथा 30.9.2014 को 2 कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। • लोक उद्यम सर्वेक्षण 2013-14 का प्रकाशन किया गया।	
3	एसएलपीज के कार्यपालकों/ कर्मचारियों को कौशल विकास/ प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्कीम	उद्यम की समग्र उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से एसएलपीज के कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने हेतु प्रबंधकों/ कार्यपालकों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना	0.75	एसएलपीज पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	निम्नलिखित 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए : (i) 15-19 सितंबर, 2014 को कोजीकोड में आईआईएम कोजीकोड में परियोजना प्रबंधन (ii) 25-29 अगस्त, 2014 तक	प्रश्न नहीं उठता

क्र. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य के परिणाम	वास्तविक व्यय 2014-15 (31.01.2015 के अनुसार)	मापने योग्य उत्पाद	वास्तविक उपलब्धियां	अंतर का कारण
					आईआईएम, लखनऊ में नेतृत्व एवं लोक विकास (iii) 13-17 अक्तूबर, 2014 को आईआईएम लखनऊ में रणनीतिक सोच और निर्णय लेना (iv) 15-19 सितंबर, 2014 को आईआईएम कोलकाता में प्रगति एवं सततता हेतु रणनैतिक सोच (v) 24-28 नवंबर, 2014 को आईआईएम अहमदाबाद में कार्यनिष्पादन आकलन और व्यवसायिक रूप से उद्देश्य उन्मुखी लक्ष्य निर्धारण (vi) 10-14 नवंबर, 2014 को आईआईएम शिलांग में कारपोरेट अभिशासन (vii) 22-23 सितंबर, 2014 को आईआईपीए दिल्ली में डायनमिक लाईफ मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस फ्री लिविंग इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 237 कार्यपालकों ने भाग लिया।	

* * * * *

अध्याय-V

वित्तीय समीक्षा

5.1 भारी उद्योग विभाग

5.1.1 भारी उद्योग विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उद्यमों का प्रशासनिक कार्य देखता है। भारी उद्योग विभाग के संबंध में वास्तविक 2011-12, 2012-13, 2013-14, बजट अनुमान 2014-15, संशोधित अनुमान 2014-15 और 31 दिसंबर, 2014 तक वास्तविक खर्च 2014-15, बजट अनुमान 2015-16, बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र और खर्च न हुई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मांग सं. 51-भारी उद्योग विभाग		वास्तविक 2011-12		वास्तविक 2012-13		वास्तविक 2013-14		ब.अ. 2014-15		सं.अ. 2014-15		वास्तविक 2014-15		ब.अ. 2015-16	
			योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर
		राजस्व	357.04	23.99	344.03	23.29	49.32	207.07	628.94	43.62	610.00	42.23	314.88	34.90	204.88	70.85
		पूंजी	0.00	291.87	60.00	334.89	448.96	380.12	171.06	400.00	75.00	557.77	73.00	433.97	465.00	884.00
		कुल	357.04	315.86	404.03	358.17	498.28	587.19	800.00	443.62	685.00	600.00	387.88	468.87	669.88	954.85
	योजनावार ब्यौरा															
	योजना/मद/कार्यक्रम															
	राजस्व खण्ड															
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं		1.66	14.05	2.09	14.52	1.43	15.96	5.00	17.61	3.00	19.03	0.97	15.47	2.88	19.85
	उद्योग															
2. (क)	डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ ऑटोमोबाइल एण्ड एलाइड इंडस्ट्री (डीसीएएआई) को पूंजीगत		0.00	13.54	0.00	5.30	0.00	10.00	0.00	4.50	0.00	4.28	0.00	3.03	0.00	8.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मांग सं. 51-भारी उद्योग विभाग		वास्तविक 2011-12		वास्तविक 2012-13		वास्तविक 2013-14		ब.अ. 2014-15		सं.अ. 2014-15		वास्तविक 2014-15		ब.अ. 2015-16	
			योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर
	परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान															
(ख)	डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ ऑटोमोबाइल एण्ड एलाइड इंडस्ट्री (डीसीएएआई) को सामान्य सहायता अनुदान		0.00	4.76	0.00	2.95	0.00	2.00	0.00	17.00	0.00	14.80	0.00	12.28	0.00	40.00
(ग)	डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ ऑटोमोबाइल एण्ड एलाइड इंडस्ट्री (डीसीएएआई) के तहत यूनिडों का अंशदान		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00
3.	एचएसएल के कर्मचारियों को पेंशन और देयताओं का भुगतान		0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	2.00
4.	नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड आरएण्डडी इंफ्रास्ट्रकचर प्रोजेक्ट		355.38	0.00	341.94	0.00	0.00	0.00	426.93	0.00	241.91	0.00	241.91	0.00	0.00	0.00
5.	केपिटल गुडस सेक्टर का		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मांग सं. 51-भारी उद्योग विभाग		वास्तविक 2011-12		वास्तविक 2012-13		वास्तविक 2013-14		ब.अ. 2014-15		सं.अ. 2014-15		वास्तविक 2014-15		ब.अ. 2015-16	
			योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर
	आधुनिकीकरण (सहायता अनुदान)															
6.	एफसीआरआई को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान		0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
7.	एचपीसी (कछाड़ पेपर मिल्स) को सामान्य सहायता अनुदान		0.00	0.00	0.00	0.00	47.23	0.00	70.00	0.00	325.86	0.00	70.00	0.00	50.00	0.00
8.	बीवाईएनएल को सहायता अनुदान		0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	एनआईडीसी को सहायता अनुदान		0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	एचईसी को सामान्य सहायता अनुदान		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	औद्योगिक संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रवर्धित करने वाली क्रियाओं के लिए सहायता अनुदान		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
12.	टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड आरएण्डडी प्रोजेक्टस फोर इलेक्ट्रिक वहीकल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मांग सं. 51-भारी उद्योग विभाग		वास्तविक 2011-12		वास्तविक 2012-13		वास्तविक 2013-14		ब.अ. 2014-15		सं.अ. 2014-15		वास्तविक 2014-15		ब.अ. 2015-16	
			योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर
13.	ताप विद्युत संयंत्रों के लिए। (एडवांस्ड अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल) प्रौद्योगिकी का विकास		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
14.	अन्य व्यय		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	एचएसएल को अनुदान		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	वास्तविक वसूलियां			-11.74		-1.07		-5.24								
	राजस्व (कुल)		357.04	23.99	344.03	23.29	49.32	207.17	628.94	43.62	610.00	42.23	314.88	34.90	204.88	70.85
	पूंजी खंड															
16	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए योजना – हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. में निवेश		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00
	केसाक्षेउ को बजटीय सहायता															
	केसाक्षेउ में निवेश															
17.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.(सीसीआई) में निवेश		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	स्कूटर्स इंडिया लि. (एसआईएल) में निवेश		0.00	0.00	0.00	0.00	31.90	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मांग सं. 51-भारी उद्योग विभाग		वास्तविक 2011-12		वास्तविक 2012-13		वास्तविक 2013-14		ब.अ. 2014-15		सं.अ. 2014-15		वास्तविक 2014-15		ब.अ. 2015-16	
			योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर
19.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि., में निवेश		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	हेवी इंजीनियरिंग लि.(एचईसी) में निवेश		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
21.	एचएमटी लि. में निवेश		0.00	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	बीबीयूएनएल में निवेश		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	एचपीसी में निवेश		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	जेपीएमएल में निवेश		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.01	0.00
25.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. (एचएसएल) में निवेश		0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00
26.	नेपा लि. में निवेश		0.00	0.00	60.00	0.00	8.10	0.00	50.00	0.00	50.00	0.01	50.00	0.00	50.99	0.00
27.	एचपीएफ में निवेश		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
28	न्यायिक मामले के निपटान हेतु एचएमटी को ऋण										0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00
29.	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुनरुद्धार योजना का कार्यान्वयन (एकमुश्त प्रावधान)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	138.78	0.00	150.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मांग सं. 51-भारी उद्योग विभाग		वास्तविक 2011-12		वास्तविक 2012-13		वास्तविक 2013-14		ब.अ. 2014-15		सं.अ. 2014-15		वास्तविक 2014-15		ब.अ. 2015-16	
			योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर
30.	वीएसएस/वीआरएस का कार्यान्वयन और सांविधिक देयताओं का भुगतान (एकमुश्त प्रावधान)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	257.21	0.00	203.83	0.00	734.00
31.	स्कूटर्स इंडिया लि. (एसआईएल) को ऋण		0.00	8.08	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.(एचसीएल) को ऋण		0.00	95.38	0.00	118.93	0.00	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	एचएमटी लि. को ऋण		0.00	145.69	0.00	172.34	11.46	110.64	0.00	0.00	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	भारत यंत्र निगम लि. (आरएण्डसी) को ऋण		0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	भारत भारी उद्योग निगम लि. (बीबीयूएनएल और बीबीजे) को ऋण		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि. (टीएसएल) को ऋण		0.00	3.15	0.00	3.44	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. (टीएसपीएल) को ऋण		0.00	2.49	0.00	2.62	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मांग सं. 51-भारी उद्योग विभाग		वास्तविक 2011-12		वास्तविक 2012-13		वास्तविक 2013-14		ब.अ. 2014-15		सं.अ. 2014-15		वास्तविक 2014-15		ब.अ. 2015-16	
			योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर
38	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. (एनपीपीसी और एचएनएल) को ऋण		0.00	8.81	0.00	8.24	58.50	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39.	नेपा लि. को ऋण		0.00	27.96	0.00	27.43	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. (एचएसएल) को ऋण		0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स (एचपीएफ) को ऋण		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42.	एचईसी को ऋण		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
43.	नेट्रिप को ऋण		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
	कुल पूंजी		**0.00**	**291.87**	**60.00**	**334.89**	**448.96**	**380.12**	**171.06**	**400.00**	**75.00**	**557.77**	**73.00**	**433.97**	**465.00**	**884.00**
	कुल राजस्व + पूंजी		**357.04**	**315.86**	**404.03**	**358.17**	**498.28**	**587.19**	**800.00**	**443.62**	**685.00**	**600.00**	**387.88**	**468.87**	**669.88**	**954.85**

5.1.2 उपयोग प्रमाण पत्र :

31.12.2014 की स्थिति के अनुसार बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(₹ लाख में)

अनुदान मंजूरी का वर्ष	देय		प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र		बकाया उपयोग प्रमाण पत्र	
	सं.	राशि	सं.		सं.	राशि
1974-2000	0	0	0	0	0	0
2000-01	1	182.5	1	182.5	0	0
2001-02	0	0	0	0	0	0
2002-03	2	31	2	31	0	0
2003-04	6	257	5	237	1	20
2004-05	11	4078	11	4078	0	0
2005-06	29	23366	26	22706	3	660
2006-07	44	236675	43	228675	1	8000
2007-08	8	1992.42	8	1992.42	0	0
2008-09	23	15800.41	22	12300.40	1	3500
2009-10	23	17980.86	22	11980.90	1	6000
2010-11	13	31022	13	31022	0	0
2011-12	18	37704	10	1133	*8	36571
2012-13	11	35178	7	649	4	34529
योग	**189**	**404267.20**	**170**	**314987**	**19**	**89280**

*नेट्रिप के संबंध में ₹ 872.32 करोड़ की राशि के प्राप्त हुए पांच उपयोग प्रमाण-पत्र अनंतिम हैं, क्योंकि ₹138.04 करोड़ एलसी में ब्लॉक हैं। अंतिम उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्रतीक्षा है।

5.1.3 खर्च न हुई शेष राशि

31.12.2014 की स्थिति के अनुसार खर्च न हुई शेष राशि की स्थिति निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	साक्षेउ का नाम	31.12.2014 की स्थिति के अनुसार खर्च न हुई शेष राशि	
		योजना	**योजनेतर**
1.	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	16.23	0.00
2.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि., कोटा	7.64	0.00
3.	डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ऑटो एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज	0.00	3.32
4.	बीडब्ल्यूईएल	0.70	0.00
5.	एचएमटी लि.	52.89	18.52
6.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर	0.00	0.70
7.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	0.00	7.32
8.	नैट्रिप	*417.69	0.00
9.	एफसीआरआई	1.94	0.00
10.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	27.58	0.00
11.	टीएसएल	0.00	0.00
	योग	**524.67**	**29.86**
	सकल योग		**554.53**

* इसमें ₹47.89 करोड़ की खर्च न की गई शेष राशि, साख पत्र के रूप में ₹138.04 करोड़ और नेटिस द्वारा उपार्जित ब्याज के रूप में ₹ 231.76 करोड़ की राशि शामिल है।

5.2 लोक उद्यम विभाग

गत 05 वर्षों के लिए योजना और गैर योजना के तहत वर्ष वार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय निम्नवत है :

(₹ करोड़ रुपए)

वर्ष	बजट अनुमान		जोड़	संशोधित अनुमान		जोड़	व्यय		जोड़
	योजना	गैर-योजना		योजना	गैर-योजना		योजना	गैर-योजना	
2010-11	10.50	5.22	15.72	10.33	7.85	18.18	9.41	7.70	17.11
2011-12	11.00	7.69	18.69	10.16	8.29	18.45	8.97	7.94	16.91
2012-13	13.00	8.93	21.93	10.00	8.99	18.99	6.16	8.83	14.99
2013-14	10.00	9.39	19.39	8.25	9.10	17.35	6.42	8.97	15.39
2014-15	9.00	9.82	18.82	5.00	9.00	14.00	3.70*	8.43*	12.13*

*31.12.2014 के अनुसार

राजस्व अनुभाग के तहत बजट अनुमान (2014-15), संशोधित अनुमान (2014-15) और व्यय निम्नवत है :

(₹ करोड़ रुपए)

राजस्व अनुभाग	बजट अनुमान 2014-15	गैर-योजना	संशोधित अनुमान 2014-15	गैर-योजना	व्यय (31.01.2015)	गैर-योजना
	योजना		योजना		योजना	
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	--	9.82	--	9.00	--	8.43
सूचना प्रौद्योगिकी	0.40		0.40		0.29	
पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.90		0.50		0.03	
उद्योग - योजना स्कीमें						
1. परामर्श प्रशिक्षण और पुर्न-नियोजन (सीआरआर)	4.40		2.42		2.31	
2. अनुसंधान, विकास और परामर्शी	2.50		0.93		0.32	
3. कौशल विकास / प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.80		0.75		0.75	
जोड़	**9.00**	**9.82**	**5.00**	**9.00**	**3.70**	**8.83**

*****

अध्याय-VI

भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के निष्पादन की समीक्षा

6.1.1 आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया

आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (एआरएआई), पुणे भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में इण्डियन व्हीकल एण्ड आटोमोटिव एंसीलरी मैन्युफेक्चरर्स और भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में स्थापित एक सहयोगी अनुसंधान संगठन है। यह विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा आटोमोटिव और संबद्ध उद्योगों के अनुसंधान और विकास, परीक्षण, प्रमाणन और आधिकारिक रूप से प्रमाणन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए मान्यता प्राप्त है। यह 1860 के सोसायटी पंजीयन अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत सोसायटी है और मुख्य आटोमोबाइल और सहायक विनिर्माता इसके सदस्य हैं। यह एक आईएसओ 9001-2008, आईएसओ 14001-2004, और ओएचएसएएस 18001-2007 प्रमाणित संगठन है तथा अपनी प्रमुख प्रमाणन सुविधाओं के लिए नेशनल एक्रिडाइटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) द्वारा भी प्रत्यायित है।

6.1.2 निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं एआरएआई में उपकर निधि के तहत कार्यान्वित की जा रही हैं:-

1. "लाइटवेट सिटी बस के लिए डिजाइन गाइडलाइन्स का विकास" संबंधी प्री-कंपेटिटिव कंसोर्टियम आर एंड डी परियोजना
2. हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन सिस्टम संबंधी प्री कंपेटिटिव कंसोर्टियम आरएंड डी परियोजना "इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहन सिस्टम के लिए ऑफलाइन तथा रियल टाइम सिम्युलेटर का विकास।"
3. ऑटोमोटिव कंपोनेन्ट्स के लिए लाइट वेट फोर्जिंग प्रोसेस का अध्ययन एवं विकास।
4. एथेनॉल मिश्रित गैसोलीन (ई20) के साथ सामग्री अनुकूलता तथा उत्सर्जन निष्पादन माप।

उपर्युक्त में से क्र. सं. 3 तथा 4 पर निर्दिष्ट परियोजनाओं का कार्यान्वयन अक्टूबर, 2014 में शुरू हो गया है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	चालू महत्वपूर्ण परियोजनाएं	स्वीकृत लागत	पूरा होने की निर्धारित तारीख	वर्ष 2015-16 की शुरूआत तक कुल संचयी व्यय (लगभग)	वर्ष 2015-16 के दौरान योजनाबद्ध कुल व्यय	पूरा होने की संभावित तारीख	संबद्ध आउटपुट और परिणाम
1	"लाइटवेट सिटी बस के लिए डिजाइन गाइडलाइन्स का विकास" संबंधी प्री-कंपेटिटिव कंसोर्टियम आर एंड डी परियोजना	4.84 (दिसंबर, 2014 तक जारी की गई राशि ₹4.84 करोड़)	मार्च 2014	4.70	0.14	मई 2015	ढ़ांचागत डिजाइन की जांच, बस बाडी कोड: एआईएस:052 के अनुरूप एल्यूमिनियम गहन बस बाडी के लिए सामग्री चयन तथा विनिर्माण प्रौद्योगिकियां, ज्वाइनिंग तकनीक, क्रैश इंपेक्ट प्रापर्टीज और एर्गोनोमिक्स तथा एसथेटिक पहलुओं पर डिजाइन के प्रभाव सहित। परियोजना का अंतिम परिणाम, डिजाइन दिशा-निर्देशों के साथ परियोजना रिपोर्ट तैयार करना होगा।
2	हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन सिस्टम संबंधी कंपेटिटिव कंसोर्टियम आर एंड डी परियोजना।	11.55 (दिसंबर, 2014 तक जारी की गई राशि ₹6.03 करोड़)	मार्च 2015	6.10	5.45	मार्च 2016	इलेक्ट्रिक वाहन/हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी/एचईवी) सब-सिस्टम्स के लिए ऑफलाइन एवं रियल टाइम सिम्युलेटर्स का विकास और शैक्षणिक संस्थानों तथा उद्योगों तक ज्ञान आधार का विस्तार करना।
3	ऑटोमोटिव कंपोनेन्ट्स के लिए लाइट वेट फोर्जिंग प्रोसेस का अध्ययन एवं विकास।	3.80 (दिसंबर, 2014 तक जारी की गई राशि ₹1.00 करोड़)	मार्च 2017	0.76	1.00	मार्च 2017	ऑटोमोटिव कंपोनेन्ट्स के लिए लाइटवेट फोर्जिंग प्रोसेस का विकास • फोर्जिंग प्रौद्योगिकी जैसे कि प्रतिकूल विश्लेषण अप्रोच तथा अनुकरण में संगणनात्मक पद्धतियों के लिए दक्षता एवं योग्यता। • उपयुक्त फोर्जिंग प्रोसेस का चयन करने में विनिर्माण संबंधी इंजीनियरों एवं डिजाइनरों की सहायता करने हेतु गणितीय टूल/सॉफ्टवेअर।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	चालू महत्वपूर्ण परियोजनाएं	स्वीकृत लागत	पूरा होने की निर्धारित तारीख	वर्ष 2015-16 की शुरूआत तक कुल संचयी व्यय (लगभग)	वर्ष 2015-16 के दौरान योजनाबद्ध कुल व्यय	पूरा होने की संभावित तारीख	संबद्ध आउटपुट और परिणाम
4	एथेनॉल मिश्रित गैसोलीन (ई20) के साथ सामग्री अनुकूलता तथा उत्सर्जन निष्पादन माप।	2.95 (दिसंबर, 2014 तक जारी की गई राशि 0.50 करोड़)	सितम्बर 2015	1.15	1.80	सितम्बर 2015	• 2डब्ल्यू तथा 4डब्ल्यू वाहनों (नए और पुराने, दोनों) के लिए कंपोनेन्ट स्तर पर ई20 के साथ सामग्री अनुकूलता अध्ययन • ई20 के साथ 2डब्ल्यू तथा 4डब्ल्यू के लिए उत्सर्जन माप • 2डब्ल्यू तथा 4डब्ल्यू वाहनों (नए और पुराने, दोनों) के लिए वाहन की आयु के अंत में सामग्री अनुकूलता मूल्यांकन

पिछले कार्य-निष्पादन की समीक्षा

क्र. सं.	विवरण (परियोजना का नाम)	2013-14			2014-15		
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
1	गर्म फोर्जिंग सामग्री के माइक्रो स्ट्रक्चर और प्रोपर्टीज पर विरुपण तापमान का प्रभाव	1.00	1.00	परियोजना मार्च, 2014 में पूरी हो गई है।	---	---	---
2	"लाइटवेट सिटी बस" संबंधी प्री-कंपेटिटिव कंसोर्टियम आर एंड डी प्रोजेक्ट	2.00	1.67	परामर्श के प्रति उपयोग करने का अर्थ यह होगा कि परियोजना के अन्य कार्य-कलापों के लिए निधियां उपलब्ध नहीं होंगी, इसलिए यह भिन्नता है।	3.07	2.75	यह उपलब्धि दिसंबर, 2014 तक की है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण (परियोजना का नाम)	2013-14			2014-15		
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
3	"हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन प्रणाली" संबंधी आरएंडडी परियोजना	1.00	1.00	कोई नहीं	5.03	5.04	यह उपलब्धि दिसंबर, 2014 तक की है।
4	ऑटोमोटिव कंपोनेन्ट्स के लिए लाइट वेट फोर्जिंग प्रोसेस का अध्ययन एवं विकास।	---	---	---	1.00	0.25	परियोजना सितम्बर, 2014 में स्वीकृत की गई। यह उपलब्धि दिसंबर, 2014 तक की है।
5	एथेनॉल मिश्रित गैसोलीन (ई20) के साथ सामग्री अनुकूलता तथा उत्सर्जन निष्पादन माप।	---	---	---	0.50	0.33	परियोजना सितम्बर, 2014 में स्वीकृत की गई। यह उपलब्धि दिसंबर, 2014 तक की है।

6.2 फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई)

6.2.1 फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की तकनीकी और आर्थिक सहायता से भारत सरकार द्वारा 1984 में स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है।

यह संस्थान फ्लूइड कंट्रोल प्रणालियों के विकास, फ्लूइड कंट्रोल एलीमेंट्स रिसर्च और मानव संसाधन विकास तथा प्रवाह इंजीनियरी के क्षेत्र में प्रशिक्षण के व्यापक उद्देश्यों से स्थापित किया गया था। उपर्युक्त उद्देश्यों को हासिल करने की दृष्टि से यह संस्थान जल प्रवाह, वायु प्रवाह, तेल प्रवाह, भौतिक मानदंड, ध्वनि और स्पंदन, सामग्री परीक्षण, इंस्ट्रूमेंटेशन आदि के लिए प्रयोगशालाओं से सुसज्जित है।

एफसीआरआई एक आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणित संगठन है। इसने एनएबीएल; एनएमआई (नीदरलैंड्स), भारतीय मानक ब्यूरो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, बाट और माप विभाग (नागरिक आपूर्ति मतंत्रालय), मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, अंडर्राइटर्स लेबोरेटरी (यूएसए) आदि जैसी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेसिंयों से भी आधिकारिक मान्यता प्राप्त कर ली है।

एफसीआरआई पिछले कुछ वर्षों के दौरान न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण एशिया में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उभरा है। यह संस्थान दक्षिण एशिया में अपनी तरह का एक तथा विकसित देशों में समान संस्थापनाओं के समान है जैसाकि दुनिया की अग्रणी प्रयोगशालाओं में एफसीआरआई द्वारा कराए गए अंत: तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा सिद्ध हो गया है । प्रवाह माप से संबंधित सेवाओं और समाधान में एक प्रमुख सुविधा के रूप में एफसीआरआई में औद्योगिक परिशुद्धता ग्रेड द्रव प्रवाह माप और नियंत्रण, प्रवाह उत्पादों के परीक्षण और अंशांकन माप प्रणाली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए उच्च तकनीकी अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं । एफसीआरआई के प्रवाह केन्द्र में प्रवाह माप के ट्रेसेबेल अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आयोजित किया जाता है, जो विश्व में प्रवाह सुविधाओं का सर्वाधिक विस्तृत सैट है तथा यह भारत में उद्योग हेतु अद्वितीय संसाधन उपलब्ध कराता है। यह संस्थान सभी प्रकार के प्रवाह उत्पाद उपकरणों, मापने के संबंधित औजारों तथा प्रवाह माप प्रणालियों/इलेक्ट्रोनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन के परीक्षण और केलीब्रेशन हेतु राष्ट्रीय प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है। यह आईएसओ 9000/आईएसओ 17025 श्रृंखला के मानदंडों के अनुसार गुणवत्ता अनुरूपता प्राप्त करने तथा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के निष्पादन को सरल एवं सुसाध्य बनाता है।

इन-हाउस आर एंड डी प्रयासों के जरिए एफसीआरआई ने विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए तकनीकी जानकारी विकसित एवं हस्तांतरित करने में सफलता हासिल की है । संपूर्ण भारत में फैले विभिन्न उद्योगों के 1000 से अधिक संगठनों को एफसीआरआई की परामर्शदायी सेवाओं, जिनमें डिजाइन मूल्यांकन, गुणवत्ता सुधार, उचित प्रवाह माप और नियंत्रण प्रौद्योगिकी की स्थापना शामिल है, से लाभ हुआ है।

फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट (एफसीआरआई)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाएं	स्वीकृत लागत	पूरा होने की निर्धारित तारीख	वर्ष 2015-16 के शुरू होने तक कुल संचयी व्यय (लगभग)	2015-16 के दौरान योजनाबद्ध कुल व्यय	पूरा होने की संभावित तारीख	संबद्ध आउटपुट और परिणाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कंट्रोल वाल्वस में वाल्ब्स कोएफीशिएंट, प्रेशर रिकवरी फक्टर और केविटेशन परीक्षण करने के लिए उच्च दाब वाली वाल्व परीक्षण सुविधा का सृजन।	4.05	3 वर्ष	0.85	3.00	मार्च 2017	निम्नलिखित को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय ट्रसेबिलिटी सहित परीक्षण सुविधा स्थापित करना : i. कंट्रोल वाल्वस का प्रेशर रिकवरी फैक्टर। ii. उच्चतर प्रचालन पर वाल्व कोएफीशिएंट। iii. वाल्ब्स का केविटेशन निष्पादन।
2	ट्राइबोलॉजी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना।	4.00	3 वर्ष	------			
3	ऑटो एलपीजी डिसपेन्सर्स के लिए एलपीजी फ्लो तथा घनत्व परीक्षण सुविधा की स्थापना और निगरानी अंतरण आवेदन (वार्षिक योजना 2015 तथा 2016-17 में प्रस्तावित)।	1.75	2 वर्ष	--	1.10	अप्रैल 2017	ऑटो एलपीजी डिसपेन्सर्स के लिए एलपीजी फ्लो तथा घनत्व परीक्षण सुविधा और निगरानी अंतरण आवेदन।
4	ऑयल-वाटर (दो चरण) कैलीब्रेशन सुविधा की स्थापना (वार्षिक योजना 2015 तथा 2016-17 में प्रस्तावित)।	1.16	2 वर्ष	--	0.60	मार्च 2017	ऑयल-वाटर दो चरण फ्लो मूल्यांकन के लिए प्रायोगिक परीक्षण लूप, दो चरण में प्रेशर लोप अध्ययन तथा सैपरेटर मिक्सर अध्ययन।
5	प्रवाह उत्पाद उद्योगों के लिए राष्ट्रीय ज्ञान संसाधन केन्द्र की स्थापना।	1.00	4 वर्ष	0.70	0.20	मार्च 2017	एफसीआरआई तथा प्रयोक्ता उद्योगों के मध्य जानकारी का बेहतर अंतरण।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाए	स्वीकृत लागत	पूरा होने की निर्धारित तारीख	वर्ष 2015-16 के शुरू होने तक कुल संचयी व्यय (लगभग)	2015-16 के दौरान योजनाबद्ध कुल व्यय	पूरा होने की संभावित तारीख	संबद्ध आउटपुट और परिणाम
6	सूचना सुरक्षा पद्धति की स्थापना करना।	0.30	2 वर्ष	0.15	0.15	मार्च 2016	विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का संरक्षण।
7	डिस्प्लेसमेन्ट ट्रांसड्यूसर्स तथा भूकंप संबंधी सेन्सर्स की कम फ्रीक्वेन्सी रेंज कैलीब्रेशन के लिए वाइब्रेशन सेन्सर कैलीब्रेशन सिस्टम।	0.35	1 year	--	0.35	अगस्त 2015	आईएसओ मानकों के अनुसार पर्यावरणात्मक तथा भूकंप संबंधी परीक्षण उपयोगों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाइब्रेशन सेंसर के ट्रेसेबल कैलीब्रेशन्स।
8	फ्लूइड प्रवाह सुविधाओं की अंत: प्रयोगशाला तुलना।	1.00	5 वर्ष	0.60	0.20	अप्रैल 2017	एफसीआरआई की सुविधाओं की तुलना अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात इसी प्रकार की प्रयोगशालाओं से करना। एनएबीएल प्रत्यायन के लिए अंतर तुलना आवश्यक है।
9	कैलीब्रेशन ऑफ प्वाइंट वेलोसिटी इन्सर्शन टाइप के डिवाइसिज के लिए उठा कर ले जाने की सुविधा।	0.61	$1^1/^2$ वर्ष	--	0.25	मार्च 2017	ऑन-द-फ्लाई वेलोसिटी माप के लिए चुस्त-दुरूस्त नियंत्रण एवं डाटा अधिप्राप्ति के साथ शार्ट-रन चैनल उठाने की सुविधा।
10	आईएस: 5844 के अनुसार स्वचालित संपीडित गैस सिलिंडर्स परीक्षण सुविधा।	0.64	$1^1/^2$ वर्ष	0.54	0.10	मार्च 2016	वर्तमान में सीएनजी कैसकेड्स का परीक्षण एवं प्रमाणन मुंबई से किया जा रहा है। दक्षिण भारत में इसकी कोई सुविधा नहीं है। 2016 में सफलतापूर्वक प्रारंभ हो जाने के पश्चात् यह वाणिज्यिक परीक्षणों के लिए एक पीईएसओ अनुमोदित केन्द्र होगा।

फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट पलक्कड़ (एफसीआरआई)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14			2014-15		
		लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण	लक्ष्य	उपलब्धि	विचलन के कारण
1	2	3(i)	3(ii)	3(iii)	4(i)	4(ii)	4(iii)
1.	कंट्रोल वाल्वस में वाल्ब्स कोएफीशिएंट, प्रेशर रिकवरी फेक्टर और केविटेशन परीक्षण करने के लिए उच्च दाब वाली वाल्व परीक्षण सुविधा का सृजन	0.66	0.09	गेट वाल्व्स, पाइप फिटिंग आदि हेतु प्रमुख मदों के लिए ₹ 50 लाख की अधिप्राप्ति की गई है। ईएमएफ, गर्डर, केबल्स आदि के संबंध में ₹ 7 लाख के लिए अधिप्राप्ति प्रगति पर है।	2.00	0.09	₹ 120 लाख के पंप तथा मोटरों की अधिप्राप्ति प्रगति पर है। ₹ 50 लाख नियंत्रण वाल्व्स, फ्लेन्जेज, ट्रांसमीटर्स आदि के लिए खर्च किए जा रहे हैं। ₹ 20 लाख इलेक्ट्रिकल तथा अन्य सहायक ढांचा कार्यों के लिए खर्च किए जा रहे हैं।
2.	ट्राइबोलॉजी अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना	--	--		2.00	राशि जारी नहीं की गई है।	
3.	प्रवाह उत्पाद उद्योगों के लिए राष्ट्रीय ज्ञान संसाधन केन्द्र की स्थापना	*0.30	0.11	कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए केएमएस अवसंरचना संबंधी मौजूदा/ आने वाली प्रौद्योगिकियों का सर्वेक्षण	*0.20	0.00	केएमएस अवसंरचना कंपोनेन्ट्स अधिप्राप्त किए जा रहे हैं। वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 21 लाख की व्यय वचनवद्धता दी गई है।
4.	फ्लूइड प्रवाह सुविधाओं की अंत: प्रयोगशाला तुलना	*0.20	0.20	--	*0.20	0.00	चेक मेट्रोलॉजी इन्स्टिट्यूट के साथ अंतर-तुलना की जा रही है और यह अप्रैल, 2015 से पहले पूरी हो जाने की आशा है। लार्ज वाटर फ्लो लैब की अंतर-तुलना के लिए सुविधा मूल्यांकन किया जा रहा है और इसके दो माह के भीतर पूरा हो जाने की आशा है।
5.	आईएस: 5844 के अनुसार स्वचालित संपीडित गैस सिलिंडर्स परीक्षण सुविधा	*0.30	0.23	--	*0.34	0.20	गैस सिलिंडर सुविधा की व्यवस्था के लिए आदर्श स्थल का चयन कर लिया गया है। चूंकि सांविधिक सुरक्षा दूरी निहित है, अतः स्थान को अंतिम रूप देने में कुछ विलंब हुआ। यह कार्य अब कर लिया गया है और ₹ 14 लाख की लागत से सिविल कार्य शुरू कर दिया गया है।
6.	सूचना सुरक्षा पद्धति की स्थापना करना	--	--		*0.20	0.00	सूचना सुरक्षा पद्धति के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। परियोजना के अंतर्गत केवल आईएसएम के मुख्य सिद्धान्तों की योजना बनाई जाती है। आज की तारीख में वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 10 लाख के व्यय की वचनवद्धता है।

** क्र. सं. 3,4,5 और 6 पर निर्दिष्ट परियोजनाओं की लागत का वित्तपोषण आईआरजी से किया जाता है।*

6.3. नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नेट्रिप)

6.3.1. भारत सरकार द्वारा 2005 में अनुमोदित नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नेट्रिप) में भारत में विश्व स्तरीय ऑटोमोटिव टेस्टिंग तथा आधिकारिक प्रमाणन सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नेट्रिप) देश में ऑटोमोटिव सेक्टर में अत्याधुनिक ऑटोमोटिव टेस्टिंग आधिकारिक प्रमाणन, वैधीकरण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना का सृजन करने के लिए भारत सरकार की एक सबसे बड़ी और अतिमहत्वपूर्ण पहल है। यह परियोजना चेन्नई, सिल्चर, इन्दौर और रायबरेली में चार नए केन्द्रों का सृजन करने तथा मानेसर (आईसीएटी), पूणे (एआरएआई) और अहमदनगर (बीआरडीई) स्थित तीन मौजूदा केन्द्रों के उन्नयन के लिए ₹ 1718.00 करोड़ की लागत से मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2005 में स्वीकृत की गई थी। सीसीईए ने अप्रैल, 2011 में इसकी लागत संशोधित करके ₹ 2288.06 करोड़ करने तथा नेट्रिप को पूरा करने की नई तारीख 31.12.2017 करने का अनुमोदन किया। इस प्रयोजन में निम्नलिखित व्यापक सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है:-

(क) मानेसर, हरियाणा में ऑटोमोटिव उद्योग के उत्तरी हब में एक संपूर्ण परीक्षण एवं आधिकारिक प्रमाणन केन्द्र।

(ख) तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के समीप ओरागडम में ऑटोमोटिव उद्योग के दक्षिणी हब में एक संपूर्ण परीक्षण एवं आधिकारिक प्रमाणन केन्द्र।

(ग) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पूणे तथा व्हीकल रिसर्च एंड डवलपमेंट इस्टेब्लिशमेन्ट (वीआरडीई), अहमदनगर में मौजूदा परीक्षण एवं आधिकारिक प्रमाणन सुविधाओं का उन्नयन;

(घ) इन्दौर, मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 4,000 एकड़ भूमि पर विश्वस्तरीय प्रूविंग ग्राउन्ड्स अथवा परीक्षण ट्रैक्स की स्थापना की जाएगी;

(ड.) देश के उत्तरी भाग अर्थात् रायबरेली, उत्तर प्रदेश राज्य में ट्रैक्टर्स तथा ऑफ-रोड व्हीकल्स के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के साथ-साथ दुर्घटना आंकड़ा विश्लेषण एवं विशिष्टीकृत ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र की स्थापना;

(च) असम राज्य के धौलचोरा (सिल्चर) में क्षेत्रीय प्रचलित वाहन प्रबंधन केन्द्र के साथ राष्ट्रीय विशिष्टीकृत पर्वतीय क्षेत्र ड्राइविंग केन्द्र।

इसके अलावा, ऑटोमोटिव क्षेत्र में आगे और अनुसंधान एवं विकास के लिए नेट्रिप उपर्युक्त वर्णित केन्द्रों में 9 उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना भी करेगी। अनुदान के माध्यम से नेट्रिप को अभी तक ₹ 1754.29 करोड़ की राशि जारी की गई है।

6.3.2 वास्तविक और वित्तीय प्रगति

(क) वास्तविक प्रगति: इस परियोजना में पूरे किए जा रहे विभिन्न केन्द्रों पर सुविधाओं की संख्या में लगातार प्रगति हो रही है। सिल्चर, असम में डोलचारा परिसर के हिल ड्राइविंग ट्रैक में कार्य पूर्णरूपेण पूरा हो गया है तथा जफीरबंद परिसर, जिसमें मॉडल निरीक्षण एवं रखरखाव लेन हैं, में यांत्रिकी संस्थान और चालक प्रशिक्षण केन्द्र पूरी तरह से पूर्ण हो गए हैं। इसी प्रकार, वीआरडीई, अहमदनगर में ईएमसी प्रयोगशाला, एआरएआई, पूणे में आधिकारिक प्रमाणन उपकरण एवं (उत्सर्जन टीट सेल) ईटीसी 1 एवं 2 प्रयोगशालाएं, चेन्नई और मानेसर, एफएटी2, एआरएआई, पूणे और आईसीएटी, मानेसर, पीएएस 4 लैब, आईसीएटी, मानेसर और जीएआरसी, चेन्नई, सीईआरटी1 लैब, आईसीएटी, मानेसर और जीएआरसी, चेन्नई तथा रायबरेली में दुर्घटना डाटा विश्लेषण केन्द्र (एडीएसी) भी शुरू कर दिए गए हैं तथा कार्य कर रहे हैं। मानेसर और चेन्नई स्थित प्रयोगशालाओं और ट्रैकों का निष्पादन कार्य अग्रिम अवस्था में है।

(ख) वित्तीय प्रगति : 31 जनवरी, 2015 तक- नेटिस ने अनुदान सहायता के माध्यम से ₹ 1754.29 करोड़ तथा प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में ₹ 21.00 करोड़ की कुल निधि प्राप्त की है तथा 31 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार, ₹ 2288.06 करोड़ की अनुमोदित परियोजना लागत की तुलना में ₹1716.59 करोड़ की राशि का उपयोग किया है।

(ग) बजट अनुमान 2015-16 के अंतर्गत निधियों का आबंटन- बजट अनुमान 2015-16 के अंतर्गत सकल बजटीय सहायता (जीवीएस) के रूप में ₹ 300.00 करोड़ की निधि आवंटित की गई है।

6.3.3 अनुमानित आउटकम तथा पिछला कार्य निष्पादन: नेट्रिप के संबंध में वर्ष 2015-16 का अनुमानित आउटकम तथा 2013-14 और 2014-15 के लिए पिछला कार्य-निष्पादन क्रमशः **अध्याय II** और **अध्याय IV** में शामिल किया गया है।

* * * * *